



# लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश

विज्ञापन संख्या : ए-1/ई-1/2012  
दिनांक : 28 जनवरी, 2012

## सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा - 2012

ओ.एम.आर. आवेदन पत्र डाकघरों के माध्यम से दिनांक 28 जनवरी, 2012 से प्राप्त किए जा सकते हैं।  
आवेदन-पत्रों की बिक्री तथा जमा करने की अन्तिम तिथि: 24 फरवरी, 2012

### अभ्यर्थियों के लिये आवश्यक सूचना

इस विज्ञापन का विस्तृत रूप आयोग के वेब-साईट <http://www.uppsc.org.in> पर भी उपलब्ध है। इस परीक्षा में ओ.एम.आर. आवेदन पत्र पद्धति लागू है तथा अभ्यर्थियों को उक्त ओ.एम.आर. आवेदन पत्र प्रत्येक जिले के मुख्य डाकघर अथवा उनके द्वारा निर्दिष्ट डाकघरों से जिनकी सूची क्रम सं. 9(2) के नीचे दी गयी है मूल्य के आधार पर उपलब्ध कराये जायेंगे। उक्त आवेदन पत्र का निर्धारित मूल्य PREGEN (सामान्य, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग, तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये) सीरीज रु. 155/- एवं PRERES (उ.प्र. के अनुसूचित जाति तथा उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के लिए) सीरीज रु. 95/- है। क्वैलिफाइंग आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे परन्तु उत्तर प्रदेश के समाज के विकलांग अभ्यर्थी PREPH सीरीज का फार्म जिसका मूल्य रु0 55/- मात्र (फार्म सेट का मूल्य रु0 25/- + डाक व्यय रु0 30/-) है, ही क्रय कर आयोग को प्रेषित करेंगे। 2. अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र की एक फोटो प्रिंट कटा कर अपने पास अवश्य रखें तथा भविष्य में किये जाने वाले प्रचार में उक्त ओ.एम.आर. फार्म न. का उल्लेख अवश्य करें।

**नोट:** विकलांग श्रेणी से सम्बन्धित अभ्यर्थी यदि विकलांगता का लाभ चाहते हैं तो PREPH सीरीज का फार्म ही आयोग को प्रेषित करेंगे।

1. 3090 लोक सेवा आयोग सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2012 में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु इस विज्ञापन के परिशिष्ट-1 में उल्लिखित जिलों में विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर एक प्रारम्भिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आवेदित परीक्षा केन्द्रों की सूचना प्रवेश पत्र के माध्यम से दी जायेगी।

2. **रिक्तियों की संख्या:** "वर्तमान में रिक्तियों की अनुमानित संख्या 100 है। शासनादेश संख्या 15/42/198-का-4-2003, दिनांक 28 जून 2003 के प्रावधानानुसार वेतनमान रु0 5500-9000 (पुराना वेतनमान) तथा उच्च वेतनमान के पदों को प्रश्नगत परीक्षा में विनिर्दिष्ट किये जाने की व्यवस्था के दृष्टिगत सम्मिलित किये जाने वाले सम्भावित पदों का विवरण इस प्रकार है-

सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), कोषाधिकारी/लेखाधिकारी (कोषागार), वाणिज्य कर अधिकारी, जिला अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, असिस्टेंट कमिश्नर, (वाणिज्य कर), कार्य अधिकारी (पंचायती राज), उपसचिव (आवास एवं शहरी नियोजन), क्षेत्रीय रासनिय अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, नायब तहसीलदार, जिला कमाण्डेंट होमगार्ड्स, पुलिस उपाधीक्षक, डिप्टी कलेक्टर, जिला बचत अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्त, अधिशासी अधिकारी (नगर विकास), खण्ड विकास अधिकारी, लेखा अधिकारी (नगर विकास), जिला पूर्ति अधिकारी ग्रेड-2, अपर जिला विकास अधिकारी, (सक), अधीक्षक कारागार, यात्री/माल कर अधिकारी, प्रबन्धक (ऋण), लघु उद्योग प्रबन्धक (विपणन एवं आर्थिक सर्वेक्षण), लघु उद्योग, जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, सहायक सेवामयोजन अधिकारी, अधिशासी अधिकारी श्रेणी-1/ सहायक नगर आयुक्त, सहायक लेखाधिकारी (स्थानीय निकाय) क्षेत्रीय सेवामयोजन अधिकारी, सहायक निबन्धक (सहकारिता), उपनिबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन), जिला प्रवेशन अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-2, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-1 व अधीक्षक राजकीय उद्यान, जिला उद्यान अधिकारी, जिला गन्ना अधिकारी उत्तर प्रदेश कृषि सेवा समूह "ख" (विकास शाखा), जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद जिला प्रशासनिक अधिकारी, जिला लेखापरीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग), सहायक निर्यंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड-3), सहायक निदेशक उद्योग (विपणन), सहायक श्रमायुक्त, जिला कार्यक्रम अधिकारी, वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।

उपयुक्त से वे वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सहायक श्रमायुक्त, सहायक लेखाधिकारी (कोषागार), सहायक निबन्धक, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-1, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-2, तथा पुलिस उपाधीक्षक के पदों का अधिवाचन प्राप्त हो चुका है। शेष जिन पदों का अधिवाचन प्रारम्भिक परीक्षा के परिणाम आने तक प्राप्त हो जायेगा, इस परीक्षा में सम्मिलित किये जा सकते हैं। अतः रिक्तियों की संख्या पद बढ़ सकती है।"

3. **आरक्षण:** उ.प्र. के अनुसूचित जातियों / उ.प्र. के अनुसूचित जनजातियों/उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण विद्यमान शासनादेशों के अनुसार दिया जायेगा। इसी प्रकार क्वैलिफाइंग आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा - उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/उ.प्र. के महिला अभ्यर्थियों को भी विद्यमान अद्यतन शासनादेशों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा। उ.प्र. के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए शासन द्वारा अधिसूचित (विन्हित) किये गये पदों पर ही आरक्षण अनुमन्य होगा।

**नोट:** (1) आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में इस विस्तृत विज्ञापन में मुद्रित तथा वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें एवं जब उनसे अपेक्षा की जाय तब वे उसे आयोग को प्रस्तुत करें। (2) उ.प्र. के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। (3) एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक फूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जायेगी। (4) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, तथा महिला अभ्यर्थियों को, जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी माने जायेंगे। भूतपूर्व सैनिकों हेतु समूह 'ग' के पदों की उपलब्धता होने की दशा में अद्यतन शासनादेशों के अनुसार 5 प्रतिशत का आरक्षण देय है।

4. **आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता की शर्तें:** (केवल आयु में फूट हेतु) आपात कमीशन प्राप्त / अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुये हैं, किन्तु जिनकी सैन्य सेवा में पुनर्वास के लिए वृद्धि की गई है, भी इस परीक्षा के लिये शासनादेश संख्या- 22/10/1976-कार्मिक - 2,85, दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर आवेदन कर सकते हैं: (1) ऐसे आवेदकों को थल सेना/नौ सेना/वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्धि पुनर्वास के लिये की गयी है और उनके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लिखित नहीं है। (2) ऐसे आवेदकों को यथा-समय यह लिखित अफ़सरों/किंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिये चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेंगे। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी, यदि - (क) उसे सेना में स्थायी कमीशन प्राप्त हो गया है। (ख) वह त्याग पत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ है। (ग) वह सेना से कदाचार अथवा शारीरिक अक्षमता के कारण अवमुक्त हुआ हो।

5. **वैवाहिक प्राप्ति:** ऐसे विवाहित पुरुष अभ्यर्थी, जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पत्नी वे ही एक पत्नी हो पात्र नहीं होंगे, जब तक कि महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान न कर दी हो।

6. **शैक्षिक अर्हता:** आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थियों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के निर्धारित स्तम्भ में करें किन्तु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट अर्हतायें भी हैं जिसका विवरण निम्नवत् है-

उप निबन्धक, सहायक अभियोजन अधिकारी (परिवहन)	विधि स्नातक
जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-2, जिला उद्यान अधिकारी ग्रेड-1 व अधीक्षक राजकीय उद्यान, जिला उद्यान अधिकारी	उद्यान में विज्ञान स्नातक (कृषि), बी.एस.सी. कृषि या उद्यान विषय में समकक्ष उपाधि
जिला गन्ना अधिकारी, 3090 कृषि सेवा समूह 'ख' (विकास शाखा)	कृषि स्नातक
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी/सह जिला विद्यालय निरीक्षक एवं अन्य समकक्षीय प्रशासनिक पद, जिला प्रशासनिक अधिकारी	स्नातकोत्तर उपाधि
जिला लेखा परीक्षा अधिकारी (वित्त लेखा परीक्षा अनुभाग)	वाणिज्य स्नातक
सहायक निर्यंत्रक विधिक माप विज्ञान (ग्रेड-3)	एक विषय के रूप में भौतिकी या यंत्रिकी अभियंत्रण सहित विज्ञान में उपाधि
सहायक निदेशक उद्योग (विपणन)	कला, विज्ञान या वाणिज्य या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातकोत्तर उपाधि या वस्त्रोद्योग में कम से कम स्नातक उपाधि।
सहायक श्रमायुक्त	वाणिज्य/विधि या एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र या समाजशास्त्र के साथ कला में स्नातक।
जिला कार्यक्रम अधिकारी	समाज शास्त्र या समाज विज्ञान या गृह विज्ञान या समाज कार्य में स्नातक उपाधि।
वरिष्ठ प्रवक्ता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक
जिला प्रवेशन अधिकारी	मनोविज्ञान या समाज शास्त्र या समाजिक कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि या उसके समकक्ष कोई अर्हता या सामाजिक कार्य की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सामाजिक कार्य की किसी शाखा में स्नातकोत्तर डिग्री/मा।

उक्त अर्हताओं का भी उल्लेख ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ अनुदेश में दिया गया है, का भी अन्वय ओ.एम.आर. आवेदन पत्र में अभ्यर्थी अवश्य करें। वरिष्ठ प्रवक्ता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हता स्नातकोत्तर उपाधि के साथ शिक्षा स्नातक है। अतः जो अभ्यर्थी इस पद हेतु शैक्षिक अर्हता "शिक्षा स्नातक" धारित करते हैं वे ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के कॉलम 9.1 (अ) (3) से (6) में शैक्षिक अर्हता कोड संख्या "23" का उल्लेख करें तथा स्नातकोत्तर की अर्हता 9.1 (1) में दें, ताकि ऐसे अर्हता वाले पदों के उपलब्ध होने पर उनके सापेक्ष इनका अभ्यर्थन निर्धारित किया जा सके।

7. **आयु सीमा:** (1) अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2012 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात् उनका जन्म 02 जुलाई, 1977 से पूर्व तथा 01 जुलाई, 1991 के बाद का नहीं होना चाहिए।

(2) **अधिकतम आयु सीमा में छूट:** (क) उ.प्र. के अनुसूचित जाति, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। यह छूट केवल उ.प्र. के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगी। (ख) उ.प्र. के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिये अधिसूचित/विन्हित पदों की उपलब्धता की स्थिति में अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक होगी। राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में डिप्टी कलेक्टर पद हेतु ऐसे आवेदकों को अपने जन्मपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का विकलांगता प्रमाण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि उनकी शारीरिक अक्षमता इस प्रकार की नहीं है जो इस सेवा के कर्तव्यों के पालन में बाधक हो। (ग) आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये जिन्होंने सेना में कम से कम 05 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, समूह 'ख' हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी परन्तु समूह 'ख' के पदों हेतु आरक्षण नहीं होगा। परीक्षा में समूह 'ग' के पदों की उपलब्धता की स्थिति में नियमानुसार आयु सीमा में छूट एवं आरक्षण देय होगा। (घ) शासनादेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2, दिनांक 28.11.1985 के अनुसार राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के उत्तर प्रदेश के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु-सीमा 05 वर्ष अधिक होगी। कुशल खिलाड़ी अपने प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर लें तथा उनसे जब मांग की जाय तो आयोग को प्रस्तुत करें और मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।

8. **शुल्क:** (1) प्रारम्भिक परीक्षा हेतु शुल्क प्रत्येक अभ्यर्थी से आवेदन पत्र के मूल्य के साथ लिया जायेगा जिसके लिफाफे पर सम्पूर्ण विवरण अंकित है। अभ्यर्थी को अलग से कोई बैंक ड्राफ्ट/ट्रेजरी चालान जमा नहीं करना है। (2) मुख्य परीक्षा हेतु शुल्क: मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु सफल सामान्य अभ्यर्थियों, उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए शुल्क रु. 230/- तथा उ.प्र. के अनुसूचित जाति/उ.प्र. के अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 110/- निर्धारित है। क्वैलिफाइंग आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले उ.प्र. के समाज के विकलांग अभ्यर्थियों

को मुख्य परीक्षा हेतु कोई शुल्क देय नहीं है परन्तु उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा उ.प्र. के सेना के अवमुक्त अधिकारी/सैन्य विद्योचित कर्मचारी/भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी जिस मुख्य श्रेणी से सम्बन्धित होंगे, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। यह शुल्क उन्हें मुख्य परीक्षा के आवेदन-पत्र के साथ जमा करना होगा।

9. **आवेदन-पत्र का स्वरूप:** (1) इस स्तर पर आवेदन-पत्र केवल प्रारम्भिक परीक्षा के लिये आमंत्रित किये जा रहे हैं। मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित अभ्यर्थियों को विस्तृत आवेदन-पत्र, जो उन्हें आयोग द्वारा भेजे जायेंगे, पर पुनः आवेदन करना होगा। (2) **आवेदन कैसे करें:** प्रारम्भिक परीक्षा हेतु ओ.एम.आर. आवेदन-पत्र निर्देशों सहित विज्ञापन की तिथि से आवेदन-पत्र प्राप्त किये जाने की अन्तिम तिथि तक निम्नलिखित जिलों के प्रधान/उप डाकघरों से PREGEN (सामान्य उ.प्र. के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों, उ.प्र. के बाहर के राज्यों के सभी अभ्यर्थियों द्वारा) रु. 155/- तथा PRERES (उ.प्र. के अनु. जाति, उ.प्र. के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा) रु. 95/- का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं। क्वैलिफाइंग आरक्षण के अन्तर्गत आने वाले, उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित तथा उ.प्र. के भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी आवेदन पत्र अपनी मूल श्रेणी के अनुसार ही क्रय करेंगे परन्तु 30 प्र0 के समाज के विकलांग अभ्यर्थी PREPH सीरीज का फार्म क्रय करेंगे। अभ्यर्थी ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र भरने हेतु निर्देश अवश्य प्राप्त कर लें।

**डाकघरों की सूची:** 1. इलाहाबाद (जी.पी.ओ.) 2. इलाहाबाद (कचहरी) 3. इलाहाबाद (दारागंज) 4. इलाहाबाद (कैवेलरी लाइन) 5. इलाहाबाद (सिटी) 6. आगरा, 7. अलीगढ़ 8. अम्बेदकर नगर (अकबरपुर) 9. औरैया 10. आजमगढ़ 11. बदायूँ 12. बागपत 13. बहराइच 14. बलरामपुर 15. बलिया 16. बौदा 17. बाराबंकी 18. बरेली 19. बस्ती 20. बिजनौर 21. बुलन्दशहर 22. चन्दौली 23. चित्रकूट (कर्बी) 24. देवरिया 25. एटा 26. इटावा 27. फैजाबाद 28. फर्रुखाबाद 29. फतेहपुर 30. फिरोजाबाद 31. गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) 32. गाजियाबाद 33. गाजीपुर 34. गोंडा 35. गोरखपुर 36. हमीरपुर 37. हरदोई 38. हाथरस 39. जालौन (उरई) 40. जौनपुर 41. झाँसी, 42. अमरोहा (ज्योतिबापुरे नगर) 43. कन्नौज 44. कानपुर (जीपीओ) 45. कानपुर (कैन्ट) 46. कानपुर (नाबागंज) 47. कौशाम्बी 48. पड़रौना 49. लखीमपुर खीरी 50. ललितपुर 51. लखनऊ (जी.पी.ओ.) 52. लखनऊ (चौक) 53. महाराजगंज 54. महोबा 55. मैनपुरी 56. मथुरा 57. मऊ 58. मेरठ 59. मिर्जापुर 60. मुरादाबाद 61. मुजफ्फर नगर 62. पीलीभीत 63. प्रतापगढ़ 64. रायबरेली 65. रामपुर 66. सहारनपुर 67. खलीलाबाद (संतकबीर नगर) 68. भदोही (संत रविदास नगर) 69. शाहजहाँपुर 70. श्रावस्ती 71. सिद्धार्थ नगर 72. सीतापुर 73. सोनभद्र (रावटसगंज) 74. सुल्तानपुर 75. उन्नाव 76. वाराणसी 77. वाराणसी (कैन्ट)।

10. **O.M.R. आवेदन पत्र भरने हेतु अनुदेश:** (1) अभ्यर्थी विस्तृत विज्ञापन का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे सन्तुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। (2) किसी भी आरक्षित श्रेणी में आने वाले अभ्यर्थी, यदि वे आरक्षण का लाभ चाहते हैं, तो आवेदन पत्र के संबंधित स्तम्भ में अपनी श्रेणी (एक या एक से अधिक, जो भी हों) अवश्य अंकित करें, ऐसा न करने पर वे सामान्य अभ्यर्थी समझे जायेंगे और उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

11. **संलग्नक:** अभ्यर्थी नवीनतम पासपोर्ट आकार की स्वप्रमाणित फोटो आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थान पर अच्छी तरह से चिपकायें। उक्त अनुदेश का पालन न करने पर आवेदन-पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

**नोट:** प्रारम्भिक परीक्षा के ओ.एम.आर. आवेदन पत्र के विभिन्न स्तम्भों में अंकित सूचना के समर्थन में कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं करना है।

12. **ओ.एम.आर. आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त होने की अन्तिम तिथि:** सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र सचिव (विज्ञापन संख्या-ए-1/ई-1/2012) लोक सेवा आयोग, 3090 10 कस्तूरबा गौंधी मार्ग, इलाहाबाद-211018, को दिनांक 24 फरवरी, 2012 को 5.00 बजे अपराह्न तक अथवा उसके पूर्व रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से हाथों-हाथ अवश्य पहुँच जाना चाहिए। डाक विभाग हमारा एजेन्ट नहीं है। फैंस द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

13. **मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार के सम्बन्ध में कतिपय सूचनाएँ:** (1) प्रारम्भिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य (लिखित) परीक्षा में सम्मिलित किए जायेंगे। (2) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवेदित किया गया है। (3) मुख्य परीक्षा हेतु तिथियाँ तथा परीक्षा केन्द्र बाद में आयोग द्वारा निर्धारित किए जायेंगे। (4) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए आहूत किये जायेंगे जो मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आधार पर सफल घोषित होंगे। (5) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्रादि भरना होगा। (6) विभिन्न पदों के लिए अधिमानीयताएं साक्षात्कार के समय माँगी जायेंगी जो अंतिम होगी और तत्पश्चात् उनमें कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा। (7) मूल प्रमाण पत्रों की जाँच साक्षात्कार के समय होगी उस समय अभ्यर्थियों को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित चार पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ (दो स्वप्रमाणित तथा दो राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्तिम शैक्षिक संस्था के प्रधान द्वारा प्रमाणित) भी प्रस्तुत करना होगा। (8) केन्द्र अथवा वाराणसी के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का अनापति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। (9) जिन पदों की चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत उनकी सेवा नियमावली में लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार दोनों का उल्लेख है उन पदों के लिए मुख्य परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिये सफल घोषित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है।

**नोट:** अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) के आवेदन पत्रों में किये जाने वाले अपने समस्त दावे की पुष्टि में प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य है। यदि वे समस्त दावे की पुष्टि में प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं करते हैं तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

14. **अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश:** (1) उ.प्र. लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं एवं चयनों में 05 वर्षों की अवधि के लिए प्रतिवारित किया जा सकता है। (2) एक लिफाफे में एक से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने पर अथवा एक लिफाफे में एक से अधिक विज्ञापनों के आवेदन पत्र होने पर सभी आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे। (3) किसी अभ्यर्थी द्वारा इस परीक्षा हेतु अपने नाम से एक से अधिक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने पर उसके सभी आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। (4) आवेदन-पत्रों को स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन-पत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किये जायेंगे। (5) आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्त हो जाने के पश्चात् अभ्यर्थियों की श्रेणी, उपश्रेणी अथवा वैकल्पिक विषय में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। (6) आयोग सभी आवेदन-पत्रों की, प्राप्ति स्वीकार करेगा। आयोग कार्यालय में जमा किये जाने वाले आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, प्रस्तुतिकरण के समय काउन्टर पर दी जाती है, प्राप्ति की रसीद अभ्यर्थी अवश्य प्राप्त करें। (7) अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण आवेदन-पत्र तथा ऐसे आवेदन-पत्र जिन पर अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर नहीं हैं, अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। (8) हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण-पत्र संलग्न न करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा। (9) मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यताओं के सम्बन्ध में किये गये दावे की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र एवं उपाधि की अभिप्रमाणित प्रतियाँ (जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा अन्तिम शैक्षिक संस्था के प्रधान द्वारा अभिप्रमाणित हों) संलग्न करना होगा। दावे की पुष्टि में प्रमाण-पत्र/अभिलेख संलग्न न करने पर अथवा प्रमाण पत्र/अंक पत्र अभिप्रमाणित न होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (10) निर्धारित प्रारूप से भिन्न प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (11) अभ्यर्थी आवेदन पत्र के समस्त स्तम्भों को स्पष्ट रूप से भरें। आवेदन पत्र में दर्शाया गया विवरण अपठनीय, अस्पष्ट और भ्रामक होने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा। (12) ओ.एम.आर. आवेदन पत्र क्रय करने के पश्चात् इसका मूल्य वापस नहीं किया जायेगा, अभ्यर्थी द्वारा चाहे उसका उपयोग किया जाय अथवा नहीं। (13) अभ्यर्थी आवेदन पत्र का कोई स्तम्भ खाली न छोड़ें, (14) समाज के विकलांग अभ्यर्थियों को उ.प्र. लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1997 की धारा-2 में उल्लिखित विकलांगता से ग्रस्त होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा संशोधित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी 2008 जो निर्धारित प्रारूप पर विकलांगता प्रमाण पत्र देने हेतु सक्षम चिकित्साधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा निर्गत एवं मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो) प्रस्तुत करने पर शासन द्वारा विन्हित किए गये पदों पर ही आरक्षण का लाभ अनुमन्य होगा। (15) परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश-पत्रों के माध्यम से सूचना दी जायेगी अभ्यर्थियों को आवेदित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। (16) जो अभ्यर्थी कालान्तर में अर्ह नहीं पाये जायेंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। (17) आवेदन-पत्र में जन्म तिथि का उल्लेख न करने पर अभ्यर्थियों को औपबन्धिक प्रवेश दे सकते हैं, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था, अथवा आवेदन पत्र प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार करने योग्य नहीं था उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और यदि संस्तुत भी कर दिया गया हो तो आयोग की संस्तुति वापस ले ली जायेगी। (18) कदाश्च अर्थात् परीक्षा निवेदन के अन्तर्गत अभ्यर्थी को अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अन्य अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इस भ्रष्टाचार की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है। (20) अभ्यर्थी के पते में कोई परिवर्तन होने पर अभ्यर्थी तत्पश्चात् से आयोग को पंजीकृत डाक से सूचित करें। (21) आयोग से सभी पत्राचार में परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम तथा अनुक्रमांक (यदि दिया गया हो) तथा ओ.एम.आर. फार्म नं. का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। (22) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। (23) इस परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में प्रवेश हेतु रिक्तियों का लगभग 18 गुना तक अभ्यर्थी सफल घोषित किये जायेंगे तथा मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु लगभग 3 गुना तक अभ्यर्थी बुलाये जायेंगे। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य है। (24) प्रारम्भिक परीक्षा के प्राप्तांक अभ्यर्थियों को उपलब्ध नहीं कराये जायेंगे। (25) स्केलिंग पद्धति लागू रहेगी। (26) ऐसे अभ्यर्थी जो स्नातक परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें, क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। (27) अभ्यर्थी उत्तर पत्रक को भरने में "केवल काले बाल वाइन्ड पेन का प्रयोग करें"। पेंसिल या किसी अन्य पेन का प्रयोग कदापि न करें। (28) उत्तर पत्रक में अभ्यर्थी द्वारा सही-सही सूचनाएं काले बाल वाइन्ड पेन से भरी जायें। "उत्तर पत्रकों में भरी गयी सूचना को व्हाइन्डपेन, ब्लेड अथवा रबर आदि से मिटाया नहीं जाये।"

15. **शारीरिक मापदण्ड:** शारीरिक मापदण्ड वाले पद जैसे पुलिस उपाधीक्षक, अधीक्षक कारागार आदि उपलब्ध होने की दशा में सम्बन्धित सेवा नियमावली/अधिवाचन के अनुसार उन पर शारीरिक मापदण्ड लागू रहेगा।

### परिशिष्ट - 1

जिन नगरों में प्रारम्भिक परीक्षा आयोजित की जायेगी वे निम्न प्रकार हैं: आगरा, इलाहाबाद, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, बस्ती, इटावा, फैजाबाद, गाजियाबाद, जौनपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मीरजापुर, मुरादाबाद, रायबरेली, सहारनपुर, सीतापुर, शाहजहाँपुर, वाराणसी।

### परिशिष्ट - 2

#### उ.प्र. की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम..... तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....जाति के व्यक्ति हैं जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। श्री/श्रीमती/कुमारी.....तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के.....ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....में सामान्यतया रहता है। स्थान.....हस्ताक्षर.....दिनांक.....पूरा नाम.....मुहर.....पद का नाम.....जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/अन्य वेतन भोगी मजिस्ट्रेट यदि कोई हो/ जिला समाज कल्याण अधिकारी।

#### उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण-पत्र

##### प्ररूप-1

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....सुपुत्र/सुपुत्री श्री.....निवासी ग्राम.....तहसील.....नगर.....जिला.....उत्तर प्रदेश राज्य की.....पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

Continued...

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... पूर्वोक्त अधिनियम, 1994 (यथासंशोधित) की अनुसूची-दो (जैसा कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता-पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिये सकल वार्षिक आय पाँच लाख रुपये या इससे अधिक नहीं है तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथा विहित छूट सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं है।  
 श्री/श्रीमती/कुमारी..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... में सामान्यतया रहता है।  
 स्थान..... हस्ताक्षर.....  
 दिनांक..... पुरा नाम.....  
 मुहर..... पद का नाम.....

जिलाधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट/परगना मजिस्ट्रेट/तहसीलदार।

**उ.प्र. के विकलांगों के लिये प्रमाण-पत्र**  
**CERTIFICATE FOR PHYSICALLY HANDICAP OF U.P.**

NAME & ADDRESS OF THE INSTITUTE/HOSPITAL  
 Certificate No..... Date .....

**DISABILITY CERTIFICATE**

Recent Photograph of the candidate showing the disability duly attested by the Chairperson of the Medical Board.

This is certified that Shri/Smt/Kum..... son/wife/daughter of Shri..... age..... sex..... identification mark (S)..... is suffering from permanent disability of following category:

- A. Locomotor or cerebral palsy:**  
 (i) BL-Both legs affected but not arms.  
 (ii) BA-Both arms affected  
 (a) Impaired reach  
 (b) Weakness of grip  
 (iii) BLA-Both legs and both arms affected  
 (iv) OL-One leg affected (right or left)  
 (a) Impaired reach  
 (b) Weakness of grip  
 (c) Ataxic  
 (v) OA-One arm affected  
 (a) Impaired reach  
 (b) Weakness of grip  
 (c) Ataxic  
 (vi) BH-Stiff back and hips (Cannot sit or stoop)  
 (vii) MW-Muscular weakness and limited physical endurance.

- B. Blindness or Low Vision:**  
 (i) B-Blind  
 (ii) PB-Partially Blind

- C. Hearing impairment:**  
 (i) D-Deaf  
 (ii) PD-Partially Deaf  
 (Delete the category whichever is not applicable)

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve. Re-assess of this case is not recommended/is recommended after a period of.....year.....months.  
 3. Percentage of disability in his/her case is.....percent.  
 4. Sh./Smt./Kum..... meets the following physical requirements discharge of his/her duties:

- |  |        |
|--|--------|
| (i) F-can perform work by manipulating with fingers. | Yes/No |
| (ii) PP-can perform work by pulling and pushing.     | Yes/No |
| (iii) L-can perform work by lifting.                 | Yes/No |
| (iv) KC-can perform work by kneeling and crouching.  | Yes/No |
| (v) B-can perform work by bending.                   | Yes/No |
| (vi) S-can perform work by sitting.                  | Yes/No |
| (vii) ST-can perform work by standing.               | Yes/No |
| (viii) W-can perform work by walking                 | Yes/No |
| (ix) SE-can perform work by seeing.                  | Yes/No |
| (x) H-can perform work by hearing/speaking.          | Yes/No |
| (xi) RW-can perform work by reading and writing.     | Yes/No |

(Dr. ....) Member Medical Board  
 (Dr. ....) Member Medical Board  
 (Dr. ....) Chairperson Medical Board  
 Countersigned by the Medical Superintendent/CMO/HQ Hospital (with seal)

\*Strike out which is not applicable.

**उ.प्र. के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... निवासी..... ग्राम..... तहसील..... नगर..... जिला..... उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री उपरान्त अधिनियम 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित हैं।  
 स्थान..... पुरा नाम.....  
 दिनांक..... मुहर..... जिलाधिकारी..... सील.....

**कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र जो उ.प्र. के मूल निवासी हैं**  
**शासनदेश संख्या-22/21/1983-कार्मिक-2 दिनांक 28 नवम्बर, 1985**

प्रमाण-पत्र के फार्म - 1 से 4 प्ररूप - 1  
 (मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिযোগिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी..... पूरा पता..... ने दिनांक..... से दिनांक..... तक..... (स्थान का नाम) में आयोजित ..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।  
 उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..... स्थान प्राप्त किया गया।  
 यह प्रमाण-पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये)..... में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।  
 स्थान..... हस्ताक्षर.....  
 दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर.....

**नोट** : यह प्रमाण-पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्ररूप - 2**

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम..... राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी (पूरा पता)..... ने दिनांक..... से दिनांक..... तक..... में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेंट) स्थान का नाम..... आयोजित राष्ट्रीय..... में (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में देश की ओर से भाग लिया।  
 उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..... स्थान प्राप्त किया गया।  
 यह प्रमाण-पत्र ..... (प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।  
 स्थान..... हस्ताक्षर.....

दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... पता..... मुहर.....

**नोट** : यह प्रमाण-पत्र प्रदेशीय खेल-कूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्ररूप - 3**

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की ओर से अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण-पत्र  
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी (पूरा पता)..... विश्वविद्यालय की कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक..... से दिनांक..... तक..... (स्थान का नाम) में आयोजित अन्तर्विश्वविद्यालय..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..... विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता / टूर्नामेंट में..... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण-पत्र डीन आफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेल कूद..... विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।  
 स्थान..... हस्ताक्षर.....  
 दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर.....

**नोट** : यह प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेल-कूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

**प्ररूप - 4**

(मान्यता प्राप्त क्रीडा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेल-कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/निदेशक, शिक्षा, उत्तर प्रदेश..... राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण-पत्र  
 प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी..... आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री..... निवासी (पूरा पता)..... में..... स्कूल में कक्षा..... के विद्यार्थी ने दिनांक..... से दिनांक..... तक..... (स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की..... (क्रीडा/खेल-कूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..... स्कूल की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में..... स्थान प्राप्त किया गया।  
 यह प्रमाण-पत्र डाइरेक्ट्रेट आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।  
 स्थान..... हस्ताक्षर.....  
 दिनांक..... नाम..... पद..... संस्था का नाम..... मुहर.....

**नोट** : यह प्रमाण-पत्र निदेशक / या अतिरिक्त/संयुक्त या उपनिदेशक डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन्स/शिक्षा..... द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

**परिशिष्ट - 3**

**परीक्षा की योजना** : प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं यथा : (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पी प्रकार की), (2) मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकार की अर्थात् लिखित परीक्षा) (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तिगत परीक्षा)  
**प्रारम्भिक परीक्षा**  
 प्रारम्भिक परीक्षा दो अनिवार्य प्रश्नपत्रों की होगी। जिनके उत्तर पत्रक ओ.एम.आर. सीट के रूप में होंगे। पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट - 4 में उल्लिखित है। प्रत्येक प्रश्न-पत्र 200 अंकों के तथा दो-दो घण्टे अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे जिनमें 150-150 प्रश्न होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र पूर्वाह्न 9:30 बजे से 11:30 बजे तक तथा द्वितीय प्रश्नपत्र अपराह्न 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे तक।  
**2. मुख्य (लिखित) परीक्षा के लिए निर्धारित विषय** : मुख्य परीक्षा में निम्नलिखित अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषय होंगे जिनका पाठ्यक्रम इस विज्ञापन के परिशिष्ट-5 में उल्लिखित है। अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई दो विषय चुनने होंगे। प्रत्येक वैकल्पिक विषय में दो प्रश्न-पत्र होंगे।

**(अ) अनिवार्य विषय**

- |  |         |
|--|---------|
| 1. सामान्य हिन्दी                      | 150 अंक |
| 2. निबन्ध                              | 150 अंक |
| 3. सामान्य अध्ययन, प्रथम प्रश्न-पत्र   | 200 अंक |
| 4. सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न-पत्र | 200 अंक |

सामान्य अध्ययन-प्रथम प्रश्न पत्र तथा सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा, जिसमें 150 प्रश्न होंगे। इन प्रश्न-पत्रों के हल करने की अवधि 2 घन्टे होगी। इसके अतिरिक्त शेष समस्त अनिवार्य तथा वैकल्पिक विषयों के प्रश्न-पत्रों हेतु 3 घन्टे का समय निर्धारित है। वैकल्पिक विषयों का प्रत्येक प्रश्न पत्र 200 अंकों का होगा।  
**नोट** : (1) दो घण्टे वाले प्रश्नपत्रों का परीक्षा समय पूर्वाह्न 9.30 बजे से 11.30 बजे तक तथा अपराह्न 2.30 बजे से सायं 4.30 बजे तक। (2) 3 घण्टे वाले प्रश्नपत्र का परीक्षा समय पूर्वाह्न 9.30 बजे से 12.30 बजे तक तथा अपराह्न 2 बजे से सायं 5 बजे तक। अभ्यर्थी से सामान्य हिन्दी के अनिवार्य प्रश्न-पत्र में न्यूनतम अंक प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी जो यथा स्थिति, शासन या आयोग द्वारा अवधारित किये जायें। वैकल्पिक विषयों के सभी प्रश्न-पत्रों में 2 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड में चार-चार प्रश्न होंगे। अभ्यर्थी को कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक खण्ड से कम से कम दो-दो प्रश्न हल करना आवश्यक है।

**(ब) वैकल्पिक विषय**

विषय	विषय	विषय	विषय	विषय
कृषि	समाजशास्त्र	पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान	नृ विज्ञान	हिन्दी साहित्य
प्राणि विज्ञान	दर्शनशास्त्र	सांख्यिकी	सिविल अभियान्त्रिकी	फारसी साहित्य
रसायन विज्ञान	भू-विज्ञान	रक्षा अध्ययन	यान्त्रिक अभियान्त्रिकी	संस्कृत साहित्य
भौतिक विज्ञान	मनोविज्ञान	प्रबन्ध	विद्युत अभियान्त्रिकी	वाणिज्य एवं लेखांकन
गणित	वनस्पति विज्ञान	राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध	अंग्रेजी साहित्य	लोक प्रशासन
भूगोल	विधि	इतिहास	उर्दू साहित्य	कृषि अभियान्त्रिकी
अर्थशास्त्र		समाज कार्य	अरबी साहित्य	

**नोट** : अभ्यर्थी निम्नलिखित विषय समूहों में से केवल एक ही विषय ले सकेंगे :

- |   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <b>समूह-ए</b><br>1. समाज कार्य<br>2. नृ विज्ञान<br>3. समाजशास्त्र | <b>समूह-बी</b><br>1. गणित<br>2. सांख्यिकी | <b>समूह-ई</b><br>1. सिविल अभियान्त्रिकी<br>2. यान्त्रिकी अभियान्त्रिकी<br>3. विद्युत अभियान्त्रिकी<br>4. कृषि अभियान्त्रिकी | <b>समूह-एफ</b><br>1. राजनीति विज्ञान एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध<br>2. लोक प्रशासन |
|---|---|---|--|

**3. व्यक्तिगत परीक्षा/मौखिक परीक्षा (कुल अंक 200)** : यह परीक्षा अभ्यर्थियों की सामान्य जागरूकता, बुद्धि, चरित्र, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व एवं सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता को दृष्टि में रखते हुये सामान्य अभिरूचि के विषयों से सम्बन्धित होगी।

**परिशिष्ट - 4**

**प्रारम्भिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम**

- प्रश्नपत्र-1 (200 अंक) अवधि-दो घण्टे**  
 ● राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं  
 ● भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन  
 ● भारत एवं विश्व का भूगोल - भारत एवं विश्व का भौतिक, समाजिक एवं आर्थिक भूगोल  
 ● भारतीय राजनीति एवं शासन-संविधान, राजनीतिक व्यवस्था पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारिक मुद्दे (राइट्स इश्यूज) आदि  
 ● आर्थिक एवं समाजिक विकास-सतत विकास, गरीबी, अन्तर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि  
 ● पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है  
 ● सामान्य विज्ञान  
**प्रश्नपत्र-2 (200 अंक) अवधि-दो घण्टे**  
 ● कागिहेन्सन (विस्तारीकरण)  
 ● अन्तर्वैयक्तिक क्षमता जिसमें सम्प्रेषण कौशल भी समाहित होगा।  
 ● तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता।  
 ● निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान।  
 ● सामान्य बौद्धिक योग्यता।  
 ● प्रारम्भिक गणित हाईस्कूल स्तर तक-अंकगणित, बीजगणित रेखागणित व सांख्यिकी।  
 ● सामान्य अंग्रेजी हाईस्कूल स्तर तक।  
 ● सामान्य हिन्दी हाईस्कूल स्तर तक।  
 ● राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं पर अभ्यर्थियों को जानकारी रखनी होगी।

Continued...

- **भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन:** इतिहास के अन्तर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आन्दोलन की प्रकृति तथा विशेषता राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है।
- **भारत एवं विश्व का भूगोल :** भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल: विश्व भूगोल में विश्व की केवल सामान्य जानकारी की परख होगी। भारत का भूगोल के अन्तर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे।
- **भारतीय राजनीति एवं शासन-संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोकनीति, आधिकारिक प्रकरण आदि:** भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति के अन्तर्गत देश के पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास सहित राजनीतिक प्रणाली के ज्ञान तथा भारत की आर्थिक नीति के व्यापक लक्षणों एवं भारतीय संस्कृति की जानकारी पर प्रश्न होंगे।
- **आर्थिक एवं सामाजिक विकास- सतत विकास, गरीबी अन्तर्विन्द जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशियेटिव आदि:** अभ्यर्थियों की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, पर्यावरण तथा नगरीकरण की समस्याओं तथा उनके संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जायेगा।
- **पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन:** इस विषय में विश्व विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से विषय की सामान्य जानकारी अपेक्षित है।
- **सामान्य विज्ञान:** सामान्य विज्ञान के प्रश्न दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने वैज्ञानिक विषयों का विशेष अध्ययन नहीं किया है।

**नोट:** अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित होगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में उपयुक्त विषयों का उन्हें सामान्य परिचय हो।

#### प्रारम्भिक गणित (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

##### 1. अंकगणित:

- (1) संख्या पद्धति: प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय-अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएँ, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएँ। पूर्णांक संख्याओं का लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्तक तथा उनमें सम्बन्ध।
- (2) औसत
- (3) अनुपात एवं समानुपात
- (4) प्रतिशत
- (5) लाभ- हानि
- (6) ब्याज- साधारण एवं चक्रवृद्धि
- (7) काम तथा समय
- (8) चाल, समय तथा दूरी

##### 2. बीजगणित:

- (1) बहुपद के गुणनखण्ड, बहुपदों का लघुतम समापवर्त्य एवं महत्तम समापवर्त्य एवं उनमें संबंध, शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण
- (2) समुच्चय सिद्धान्त: समुच्चय, उप समुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएँ (संघ, प्रतिच्छेद, अन्तर, सममितीय अन्तर), वेन-आरेख
- 3. रेखागणित:**
  - (1) त्रिभुज, आयत, वर्ग समलम्ब चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण संबंधी प्रमेय तथा परिमाण एवं उनके क्षेत्रफल,
  - (2) गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा घन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल।
- 4. सांख्यिकी:** आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारम्बारता, बारम्बारता बंटन, सारणीयन, संघटी बारम्बारता, आंकड़ों का निरूपण, दण्डचार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारम्बारता बहुभुज, संघटी बारम्बारता वक्र, केन्द्रीय प्रवृत्ति की माप- समान्तर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक।

#### General English Upto Class X Level

1. Comprehension
2. Active Voice and Passive Voice
3. Parts of Speech
4. Transformation of Sentences
5. Direct and Indirect Speech
6. Punctuation and Spellings
7. Words meanings
8. Vocabulary & Usage
9. Idioms and Phrases
10. Fill in the Blanks

#### सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर तक) के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किये जाने वाले विषय

- (1) हिन्दी वर्णमाला, विराम चिह्न,
- (2) शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ
- (3) शब्द-रूप
- (4) संधि, समास
- (5) क्रियाएँ
- (6) अनेकार्थी शब्द
- (7) विलोम शब्द
- (8) पर्यायवाची शब्द
- (9) मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ
- (10) तत्सम एवं तद्भव, देशज, विदेशी (शब्द भंडार)
- (11) वर्तनी
- (12) अर्थबोध
- (13) हिन्दी भाषा के प्रयोग में होने वाली अशुद्धियाँ
- (14) 30प्र0 की मुख्य बोलियाँ

#### मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश तथा पाठ्यक्रम

1. आयोग प्रवेश पत्र के बिना किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं देगे। किसी भी अभ्यर्थी के परीक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता/ पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा। 2. अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उत्तर पुस्तिका में केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें अन्यथा दण्डस्वरूप उनके अंकों में कटौती की जायेगी। अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका में कही भी अपना नाम न लिखें अन्यथा उन्हें परीक्षा के लिये अर्ह घोषित किया जा सकता है। 3. यदि अभ्यर्थी की हस्तलिपि अस्पष्ट/अपठनीय है तो उसके प्रपत्रांकों के कुल योग में से कटौती की जा सकती है। 4. अभ्यर्थी प्रश्न- पत्रों के उत्तर अंग्रेजी रोमन लिपि में अथवा हिन्दी देवनागरी लिपि में अथवा उर्दू फारसी लिपि में लिख सकते हैं परन्तु उन्हें भाषा के प्रश्न-पत्र का उत्तर जब तक की प्रश्न में अन्यथा निर्दिष्ट न हो अनिवार्य रूप से उसी भाषा में लिखना होगा। 5. प्रश्न-पत्र केवल अंग्रेजी लिपि में व हिन्दी देवनागरी लिपि में होंगे। 6. सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषयों के प्रश्न-पत्रों का पाठ्यक्रम अन्यथा उल्लिखित विवरण के अतिरिक्त, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्रीधारी अभ्यर्थी से अपेक्षित स्तर का होगा।

#### पारिशिष्ट-5

##### सामान्य अध्ययन-प्रश्न-पत्र - I

1. भारत का इतिहास (प्राचीन,मध्यकालीन एवं अर्वाचीन) 2. भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एवं भारतीय संस्कृति 3. जनसंख्या,पर्यावरण एवं नगरीकरण (भारतीय परिप्रेक्ष्य में) 4. विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल एवं प्राकृतिक संसाधन 5. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम 6. भारतीय कृषि, व्यापार एवं वाणिज्य 7. उत्तर प्रदेश के विशेष सन्दर्भ में शिक्षा, संस्कृति, कृषि,व्यापार, वाणिज्य एवं रहन-सहन तथा सामाजिक प्रथाओं की विशिष्ट जानकारी भारत के इतिहास और भारतीय संस्कृति में लगभग उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर देश का व्यापक इतिहास रहेगा और साथ में गांधी, टैगोर और नेहरू से सम्बन्धित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाओं में खेल-कूद से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रहेंगे।

##### सामान्य अध्ययन-प्रश्न-पत्र - II

1. भारतीय राज्य व्यवस्था 2. भारतीय अर्थव्यवस्था 3. सामान्य विज्ञान, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव एवं दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्ता 4. सामान्य बौद्धिक योग्यता 5. सांख्यिकी विश्लेषण,लेखाचित्र (ग्राफ) तथा आरेख (डायग्राम) भारतीय राज्य व्यवस्था से सम्बन्धित खण्ड में भारत की राजनीतिक व्यवस्था से सम्बन्धित प्रश्न होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में देश की आर्थिक नीति के सामान्य लक्षणों का समावेश होगा।भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका और उसके प्रभाव से सम्बन्धित खण्ड में ऐसे प्रश्न पूछे जायेंगे जो अभ्यर्थी की इस क्षेत्र में जानकारी की परीक्षा करें। इसमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जायेगा। सांख्यिकीय विश्लेषणों में आरेख व चित्र रूप में प्रस्तुति तथा सामग्री के आधार पर सहज बुद्धि का प्रयोग करते हुये कुछ निष्कर्ष निकालने और उसमें पायी गयी कमियाँ,सीमाओं और विसंगतियों का निरूपण करने की क्षमता की परीक्षा होगी।

#### निबन्ध

निबन्ध हिन्दी, अंग्रेजी अथवा उर्दू में लिखे जा सकते हैं।

निबन्ध के प्रश्न-पत्र में 3 खण्ड होंगे। प्रत्येक खण्ड से एक-एक विषय पर 700 (सात सौ) शब्दों में निबन्ध लिखना होगा। प्रत्येक खण्ड 50-50 अंकों का होगा। तीनों खण्डों में निम्नलिखित विषयों पर आधारित निबन्ध के प्रश्न होंगे।

खण्ड (क)	खण्ड (ख)	खण्ड (ग)
1. साहित्य और संस्कृति	1. विज्ञान पर्यावरण और प्रौद्योगिकी	1. राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम
2. सामाजिक क्षेत्र	2. आर्थिक क्षेत्र	2. प्राकृतिक आपदाएँ भू-स्खलन भूकम्प, बाढ़, सूखा, आदि।
3. राजनीतिक क्षेत्र	3. कृषि उद्योग एवं व्यापार	3. राष्ट्रीय विकास योजनाएँ एवं परियोजनाएँ

#### सामान्य हिन्दी

(1) दिये हुए गद्य खण्ड, का अवबोध एवं प्रश्नोत्तर। (2) संक्षेपण। (3) सरकारी एवं अर्धसरकारी पत्र लेखन, तार लेखन, कार्यालय आदेश, अधिवृत्तन, परिपत्र (4) शब्द ज्ञान एवं प्रयोग (अ) उपसर्ग एवं प्रत्यय प्रयोग, (ब) विलोम शब्द, (स) वाक्यांश के लिए एक शब्द (द) वर्तनी एवं वाक्य शुद्धि (5) लोकोक्ति एवं मुहावरे।

#### 1. कृषि प्रश्न -पत्र -1

**खण्ड (अ):** पारिस्थितिकीय विज्ञान और मानव के लिए उसकी प्रासंगिकता, प्राकृतिक संसाधन उसका प्रबन्ध तथा संरक्षण। फसलों के उत्पादन तथा विवरण में वातावरणीय कारक। फसलों की वृद्धि पर जलवायु तत्वों का प्रभाव तथा शस्यक्रम पर बदलते वातावरण का प्रभाव। प्रदूषित वातावरण तथा उससे सम्बन्धित मानव,पशु तथा फसल को खतरा।

प्रदेश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में शस्यक्रम प्रणाली अधिक उत्पादन तथा अल्पकालीन किस्मों का शस्यक्रम प्रणाली पर प्रभाव। बहुशस्यन, बहुमंजिली रिले तथा अंतराशस्य का सिद्धान्त एवं टिकाऊ खाद्य उत्पादन के सम्बन्ध में महत्व। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में खरीफ तथा रबी मौसमों में उत्पादित मुख्य अनाज, दलहन,तिलहन, रेशा, शर्करा तथा नगदी फसलों के उत्पादन हेतु संक्षेपणन रीतियाँ।

वानिकी का महत्व विशेषताएँ तथा विभिन्न प्रकार के वानिकी पौधों का प्रवर्धन विशेष रूप से सामाजिक वानिकी तथा कृषि वानिकी के सन्दर्भ में। खरपतवार उनकी विशेषताएँ तथा विभिन्न फसलों के साथ उनका सहयोग व गुणन। खरपतवार का संवर्धन, जैविक तथा रासायनिक नियंत्रण। मृदा निर्माण की विधियाँ तथा कारक, भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण, आधुनिक संकल्पनाओं सहित। मृदाओं के खनिज लवण तथा कार्बनिक प्रमाण तथा मृदा उत्पादकता बनाये रखने में उनकी भूमिका। समस्यात्मक मृदाएँ भारत में उनका विस्तार एवं सुधार। मृदा तथा पौधों में आवश्यक पादप तत्वों का उद्धार तथा उनके विवरण के प्रभावकारी कारक, उनकी क्रियाएँ तथा मृदा उर्वरकता के सिद्धान्त तथा उचित उर्वरक प्रयोग का मूल्यांकन। जल विभाजन के आधार पर मृदा संरक्षण नियोजन। पहाड़ी , पद पहाड़ी तथा घाटियों

में अपरदन व अपवाह का प्रबन्ध। इनको प्रभावित करने वाली क्रियाएँ तथा कारक। वरानी कृषि तथा उससे सम्बन्धित समस्याएँ। वर्षा पर आधारित कृषि क्षेत्रों में कृषि उत्पादन में स्थिरता लाने की तकनीक।

**खण्ड - (ब)** शस्य उत्पादन से सम्बन्धित जल उपयोग क्षमता, सिंचाई क्रम के आधारभूत मानक सिंचाई जल के बाद अपवाह को काम करने की विधियाँ, जलाक्रांत भूमिसे जल निकास। कृषि क्षेत्र प्रबन्धन का नियोजन व लेखा में महत्व व लक्षण तथा उसका क्षेत्र कृषि निवेष्टों तथा उपजों का विवरण और मूल्यों का उत्तर चढ़ाव तथा उनकी लागत व्यय। सहकारिता का कृषि अर्थव्यवस्था में महत्व, विभिन्न प्रकार की कृषि प्रणालियाँ तथा उनकी किस्मों तथा उनको प्रभावित करने वाले कारक। कृषि विस्तार महत्व तथा भूमिका, कृषि विस्तार प्रोग्रामों का मूल्यांकन, विसरण, संचार व नई तकनीकों का अनुसरण। कृषि यंत्रिकरण तथा कृषि उत्पादन व ग्रामीण रोजगार में उनकी भूमिका। प्रसार कार्यकर्ताओं व किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। प्रसार विधियाँ तथा कार्यक्रम प्रशिक्षण एवं भ्रमण, कृषि विज्ञान केन्द्र, कृषि ज्ञान केन्द्र एन.ए.टी.पी. व आई.वी.एल.पी.।

#### प्रश्न पत्र - II

**खण्ड (अ) :** आनुवंशिकता और विभिन्नता, मेंडल का आनुवंशिकता नियम, क्रोमोसोम आनुवंशिकता सिद्धान्त, कोशिकाद्रव्यी वंशागति। लिंग सहलग्न, लिंग प्रभावित तथा लिंग सीमित गुण, स्वागत और प्रेरित उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन में रसायनों का महत्व फसलों का उद्गम तथा धरतुलकरण, खेतों में उगायी जाने वाली प्रमुख कादप जातियों से संबंधित जातियों की आकारिकी तथा विभिन्नता के स्वरूप। फसल के सुधार के कारक और इनमें विभिन्नता का उपयोग।

प्रमुख फसलों के सुधार में पादप-प्रजनन सिद्धान्तों का उपयोग जनपरागण और परपरागण वाली फसलों की जनन विधियाँ। पुनः स्थापनचयन तथा संकर ओज तथा स्थीय असयोजकता जनन में उत्परिवर्तन तथा बहुगुणितता का उपयोग बीज प्रौद्योगिकी तथा उसका महत्व, बीजों का उत्पादन, संसाधन तथा परीक्षण।राष्ट्रीय व राज्य की बीज निगमों की बीज उत्पादन में भूमिका। उन्नत किस्मों के बीजों का संसाधन व विपणन।

शरीर क्रिया विज्ञान का कृषि विज्ञान में महत्व। प्रोटोप्लाज्म के रासायनिक व भौतिक गुण, शोषण पृष्ठतल तनाव विसरण और परासरण।जल का अवशोषण तथा स्थानान्तरण, वाष्पोत्सर्जन और जल की मितव्ययिता।

**खण्ड (ब) :** प्रक्रिण्व (इन्जाईम) और पादप रंजक, प्रकाश संश्लेषण की आधुनिक संकल्पनाएँ तथा इन क्रियाओं को प्रभावित करने वाले कारक, वायवीय व अवायवीय श्वसन। वृद्धि व विकास, दीप कालिता और बसन्तीकरण। पादप नियामकों की कार्यविधि तथा कृषि उत्पादन में महत्व। प्रमुख फल व सब्जियों के अपेक्षित जलवायु तथा इनकी खेती की संक्षेपणन प्रथा, समूह और इसका वैज्ञानिक आधार। फल व सब्जी के तोड़ने के पहले व बाद की संभाल व संसाधन, सब्जी व फलों के परिरक्षण की विधियाँ, परिरक्षण तकनीकी तथा उपकरण। भूदृष्य व पृष्ठीय पौधों, इसके साथ शोभाकारी पौधों की खेती, अलंकृत पौधों के प्रवर्धन तथा उद्यान की अभिकल्पना और रचना प्रदेश के फल, सब्जी व पौधों की बीमारियाँ और कीट इनके नियंत्रण करने की विधियाँ, एकीकृत कीट व रोग प्रबन्धन के सिद्धान्त, कीटनाशी दवाओं की संरचना, फसल सुरक्षा के यंत्र तथा उनकी देख-रेख।

अनाज और दलहन के भण्डार में नाशक कीट भंडार गोदामों की स्वच्छता तथा उनके सम्बन्ध में सावधानी और अनुसंधान।

भारत में खाद्य उत्पादन और उपयोग की प्रवृत्तियाँ।राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय खाद्य नीतियाँ। समर्थन मूल्य पर अनाजों की खरीददारी, वितरण संरक्षण व उत्पादन की समस्याएँ।

#### 2.प्राणिविज्ञान प्रश्न पत्र-1

##### अकाईटा, कार्डेटा, पारिस्थितिकी, जीव पारिस्थितिकीय जैव सांख्यिकी और आर्थिक प्राणि विज्ञान

##### खण्ड-अ : (अकाईटा और कार्डेटा)

1. विभिन्न फाइलमों का सामान्य सर्वेक्षण, वर्गीकरण और परस्पर सम्बन्ध, 2. **प्रोटोजोआ:** चलन, पोषण, जनन और मानव परजीवी प्रोटोजोआ 3. **पारिफेरा:** नाल तंत्र कंकाल और जनन, वर्गीकरण स्थान, 4. **नाइडेरिया:** बहुरूपता, प्रवाल, भित्तियाँ, मेटाजेनेसिस, 5. **हेलमिन्थीज:** परजीवी अनुकूलन तथा परपोषी-परजीवी सम्बन्ध, 6. **एन्नेलिडा:** पॉलीकीटा में अनुकूलती विकिरण, 7. **आर्थोपोडा:** क्रस्टेशिया में लार्वा प्रारूप और परजीविता, झोंगा के उपांग, आर्थोपोडा में दृष्टि और श्वसन, कीटों में सामाजिक जीवन और कार्यान्तरण, 8. **मोलस्का:** श्वसन नियोजन, मुक्ता निर्माण, 9. **इकाइनोडर्मेटा:** सामान्य संगठन, लार्वा प्रारूप और बंधुता, 10. कार्डेटों की उत्पत्ति, फुफ्फुस मीन और चतुष्पादों की उत्पत्ति, 11. **एम्फीबिया,** चिरडिम्भता और शावकीजनन, पैतृक लक्षण, 12. **रेप्टीलिया:** करोटि प्रारूप (एनाप्सिड, डाइरैप्सिड, पैराप्सिड और सिनेप्सिड) डाइनोसॉर, 13. **एवीज:** उत्पत्ति पक्षियों में एरियल अनुकूलन और श्वसन, उड़्यान विहीन-पक्षी, 14. **मैमेलिया:** प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया, यूथीरिया के चर्म व्युत्पन्न।

**खण्ड-ब :** पारिस्थितिकीय, जीव पारिस्थितिकीय, जैव सांख्यिकी और आर्थिक प्राणि विज्ञान, 1. **पारिस्थितिकीय :** जैव तथा अजैव कारक, आंतर और अंतरजातीय सम्बंध, पारिस्थितिकी अनुक्रम, जीवम के विभिन्न प्रकार, जीव भू रसायन चक्र, खाद्य जाल, ओजोन पर्त और जीव मंडल, वायु जल और थल का प्रदूषण, 2. **जीव पारिस्थितिकी :** प्राणि व्यवहार के प्रकार, व्यवहार में फीरोमोन और हार्मोन की भूमिका प्राणि व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, जैवलया। 3. **जैव सांख्यिकी :** प्रतिचयन विधियाँ, बारंबारता-बंटन और केन्द्रीय प्रवृत्तिके माप, मानक विचलन और मानक त्रुटि, सहसम्बन्ध और समाश्रयण, काई स्ववापर और टी -टेस्ट। 4. आर्थिक प्राणि विज्ञान :फसलों (धान, चना और गन्ना) और संग्रहीत अनाजों के कीड पीडक, मौन पालन, रेशमकीट पालन, लाख कीट पालन, मत्स्य पालन और सीप पालन।

##### प्राणि विज्ञान-प्रश्नपत्र - 2

##### कोशिका जैविकी, आनुवंशिकी, विकास और वर्गीकरण/विज्ञान, जैवरसायन, शरीर क्रिया विज्ञान और परिवर्धन जैविकी

**खण्ड-अ :** कोशिका जैविकी, आनुवंशिकी, विकास और वर्गीकरण विज्ञान, 1. **कोशिका जैविकी :** कोशिका कला-सक्रिय गमन और सोडियम-पोटेशियम एटीपेज पम्प, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लासीकाय, अन्तर्द्रव्यी,जालिका, राइबोसोम और लाइसोसोम, कोशिका विभाजन- समसूत्री तर्क और गुणसूत्र गति और अर्धसूत्रण, गुणसूत्र मानचित्र। जीन धारणा और कार्य -डीएनए का वेट्सन-क्रिक मॉडल, आनुवंशिक कूट,प्रोटीन संश्लेषण, लिंग गुणसूत्र और लिंग निर्धारण। 2. **आनुवंशिकी :** वंशागति की मेंडल के नियम, पुन्योग सहलग्नता और सहलग्नता चित्र, बहु एलील, उत्परिवर्तन (प्राकृतिक और प्रेरित) उत्परिवर्तन और विकास, गुणसूत्र की संख्या और प्रारूप संरचनात्मक पुनर्विन्यास, बहुगुणितता, प्रोकेरियोटों और यूकेरियोटों में जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव गुणसूत्री अपसामानताएँ, जीन और रोग, सुजनन विज्ञान, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, पुनर्योगज डीएनए तकनीकी ओर जीन क्लोनिंग। 3. **विकास और वर्गीकरण विज्ञान :** विकास के सिद्धान्त जैव विभिन्नता का स्रोत और उसकी प्राकृतिक वरण, हाई -वाइनर्ग नियम: गोपक और भयसूचक रंजन, अनुहरण, प्रथम्य क्रिया विधियाँ, और उनकी भूमिका -द्विपीय प्राणिजात, स्पीशीज और उपस्पीशीज की धारणा ,वर्गीकरण के सिद्धान्त। प्राणिनाम पद्धति, प्राणि-भौगोलिक परिमंडल और अन्तर्राष्ट्रीय सहिता, जीवाश्म, भू वैज्ञानिक महाकल्प, घोड़े और हाथी की जातिवृत्त, मानव की उत्पत्ति और उसका विकास, जन्तुओं के महाद्विपीय वितरण के सिद्धान्त और वाद, विश्व के प्राणि-भौगोलिक परिमंडल।

**खण्ड-ब : जैव रसायन, शरीर क्रिया विज्ञान और परिवर्धन जैविकी, 1. जैव रसायन :** कार्बोहाइड्रेट, लिपिडों (संतुप और असंतुप वसा अम्लों को लेकर) अमीनों अम्लों, प्रोटीनों और न्यूक्लीक अम्लों की संरचना, ग्लाइकोलिसिस, ग्लेब का चक्र, उपचयन और अपचयन, आक्सीकरण/फास्फोरीलेशन ऊर्जा- संरक्षण और उसका मोचन, ए टी पी और सी ए एम पी एन्जाइमों के प्रकार, एन्जाइम क्रिया की क्रियाविधि, प्रतिरक्षाग्लोब्युलिन और प्रतिरक्षा विटामिन। 2. **शरीर क्रिया विज्ञान :** स्तनियों के विशेष संदर्भ में: रूधिर की रचना, मानव में रूधिर वर्ग, स्कन्दन, आक्सीजन और कार्बन डाई आक्साइड का परिवहन, हीमोग्लोबिन, श्वसन और उसका नियमन, यूरिया का निर्माण, और मूत्र, अम्ल-क्षारक साम्य और समस्थापन, मानव में ताप-नियमन, तंत्रिका आवेग -एक्सॉन में चालन और सिनेप्स में पारगमन, तंत्रिका प्रेषी, दृष्टि श्रवण और घ्राणपेशियों के प्रकार, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लीक अम्ल का पाचन और अवशोषण, पाचकसों के साव कानियंत्रण, मानव का संतुलित आहार। स्टैरॉयड, प्रोटीन, पेप्टाइड और अमीनों अम्ल से व्युत्पन्न हार्मोन, हाईपोथैलेमस, पिड्यूटरी, थॉयरॉयड, पैराथायरॉयड पैनक्रियाज (अग्नाशय), एडरीनल (अधिवक्) गोनड (जेनड) और पिनियल अंक की भूमिका और उनके सम्बन्ध, मानव जनन का शरीर क्रिया विज्ञान, मानव में परिवर्धन का हार्मोनी नियंत्रण स्तनियों में फीरोमोन। 3. **परिवर्धन जैविकी :** ब्रेकियोस्टोमा, मेढक और कुक्कुट में युग्मकजनन, निषेचन: अंड के प्रकार दिलन और गैस्टुलाभवन, मेढक और कुक्कुट के गैस्टुला के फेट मैप (भविष्य मानचित्र) मेढक में कार्यांतरण, कुक्कुट में भ्रूणबाह्य कला का निर्माण और भविष्य, स्तनियों में उल्ब, अपरापोषिका और अपरा के प्रकार, संगठक परिघटना, पुनरुद्भवन, परिवर्धन का अनुवांशिक नियंत्रण,मस्तिष्क , आँख और हृदय का अंग विकास, कालप्रभावन। कीट कार्यांतरण का हार्मोनी नियंत्रण।

#### 3. रसायन विज्ञान : प्रथम प्रश्न पत्र

**परमाणु संरचना :** बोर का प्रतिरूप तथा उसकी सीमाएँ, द-ब्रग्ली समीकरण, होइजेनबर्ग का अनिश्चता का सिद्धान्त, क्वाण्टम यांत्रिकीय ऑपरटर तथा श्रॉडिजर तरंग समीकरण, तरंग फलन का भौतिक महत्व तथा इसकी विशेषताएँ (सामान्यीकृत लॉम्बिक) परमाणु वितरण तथा s, p, d एवं f कक्षकों की आकृतियाँ एक विमीय बाक्स में कण, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जाओं का क्वाण्टीकरण (हाइड्रोजन अणु का गुणात्मक अध्ययन पाउली का अपवर्जन सिद्धान्त, अधिकतम चक्रण की बहुलता आफबाऊ सिद्धान्त परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परालारेशियम तत्वों को सम्मिलित करते हुए आवर्त तालिका की दीर्घ प्रणाली। तत्वों के गुणों में आवर्तता तथा परमाणुक एवं आयनिक त्रिज्याएँ, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता तथा जलयोजन ऊर्जा।

नाभिकीय एवं विकिरण रसायन: नाभिक की संरचना (कोश मॉडल), नाभिकीय बल, नाभिकीय स्थायित्व n/p अनुपात, नाभिकीय बंधन ऊर्जा।रेडियोएक्टिवता की बल गतिकी, उसकी पहचान तथा मापन तत्वों का कृत्रिम तत्वान्तरण तथा नाभिकीय अभिक्रियाएँ , नाभिक विखण्डन तथा संगलन, रेडियो एक्टिव समस्थानिक तथाउनकी उपयोगिता, रेडियो कार्बन काल निर्धारण, विकिरण रसायन की प्रारम्भिक जानकारी, जल तथा जलीय विलयनों का रेडियो अपघटन, विकिरण रासायनिक उत्पाद की इकाई (जी-मान) फ्रिक मात्रामिति।

रासायनिक आबंधन संयोजकता आबन्ध सिद्धान्त(हाइड्रलर लंदन तथा पाउलिंग-स्लेटर के सिद्धान्त), संकरण, वी.एस.ई.पी.आर सिद्धान्त तथा साधारण अकार्बनिक अणुओं की आकृतियाँ। आप्विक कक्षक सिद्धान्त आबंधन, अनाबन्धन तथा प्रतिआबंधन आप्विक कक्षक, समांग तथा विषमंग द्विपरमाणुक अणुओं की आप्विक कक्षक ऊर्जा स्तर आरेख, आबंध क्रम, आबंध दैर्ध्य, एवं आबंध सामर्थ्य, सिग्मा तथा पाई आबंध, हाइड्रोजन आबंध सहसंयोजी आबंध की विशेषताएँ। s तथा p खण्ड के तत्वों का रसायन : s तथा p खण्ड के तत्वों का सामान्य गुण तत्वों का रासायनिक सक्रियता तथा समूह प्रवृत्तियाँ, उनके हाइड्राइड, हैलडाइड तथा आक्साइडो का रासायनिक आचरण। संक्रमण तत्वों का रसायन : सामान्य विशेषताएँ, परिवर्ती आक्सीकरण अवस्थाएँ, जटिलों का निर्माण, उन्का रंग तथा चुम्बकीय एवं उत्प्रेरकीय गुण। आयनिक त्रिज्याओं, आक्सीकरण अवस्थाओं तथा चुम्बकीय गुणों की दृष्टि से 4d और 5d संक्रमण तत्वों एवं उनके अनुरूप 3d तत्वों का तुलनात्मक अध्ययन।

लैथेनाइडों तथा एक्टिनाइडों का रसायन : लैथेनाइडों, संकुचन, आक्सीकरण अवस्थाएँ, लैथेनाइडों तथा एक्टिनाइडों के पृथक्करण का सिद्धान्त, उनके यौगिकों का चुम्बकीय तथा स्पेक्ट्रमी गुण। **उप सहसंयोजन रसायन :** उप सहसंयोजन यौगिकों का वर्न सिद्धान्त नाम पद्धति की आई.यू.पी.ए.सी. (IUPAC) प्रणाली प्रभावी परमाणु क्रमांक, उप सह संयोजन यौगिकों में समावयवता, संयोजकता बंध सिद्धान्त तथा उसकी सीमाएँ, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धान्त अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय तथा वर्ग तलीय जटिलों में d कक्षकों का क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। dq तथा इसके मान को प्रभावित करने वाले कारक d' से d<sup>9</sup> तक के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायित्व ऊर्जाओं की गणना, दुर्बल तथा प्रबल क्षेत्र के अष्टफलकीय जटिल, स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी। 3d संक्रमण धातु जटिलों के इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रॉनिक उत्तेजन के प्रकार d' से d<sup>10</sup> निकायों के लिए स्पेक्ट्रमिकी आद्य अवस्थाएँ। **जैव अकार्बनिक रसायन :** जैविक प्रक्रमों में अनिवार्य तथा सूक्ष्म मात्रिक तत्व, धात्विक पाफिरिनहीमोग्लोबिन तथा मायाग्लोबिन। ca<sup>2+</sup> के विशेष संदर्भ में क्षारीय तथा मृदाक्षारीय धातु आयनों का जैविक महत्व।

निम्नांकित आक्बनिक यौगिकों का बनाना, उनके गुण धर्म तथा उपयोग: भारी जल, बोरिक एसिड, डाइबोरेन, हाईड्रोजन,एमीन, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट, Ce (IV)सल्फेट तथा Ti (III) सल्फेट।

**बहुलक :** संख्या माध्य तथा भार माध्य अनुभा। अवसादन, प्रकाश विकीर्णन, स्थानता तथा परासरण दाब, विधियाँ द्वारा बहुलकों के अनुभाार का ज्ञात करना। बहुलकों की प्रत्यास्थता तथा क्रिस्टलता। बोरानन, सिलीकोन तथा फास्फोनाइट्रिलिक हैलाइड बहुलक। रासायनिक ऊष्मा गतिकी : ऊष्मा गतिकी फलन, ऊष्मा गतिकी के नियम तथा विभिन्न भौतिकी रासायनिक प्रक्रमों में उसके अनुप्रयोग। रासायनिक विश्व की धारणा, गिब्स-ड्यूहेम समीकरण क्लासियस -क्लेपेरान समीकरण सहजात गुण धर्मों का उष्मागतिकी विवेचन। रासायनिक बल गतिकी : अभिक्रिया की अनुकता तथा कीट अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने की विधियाँ, सक्रियण ऊर्जा, अभिक्रिया दरों का सांगठन, स्वरण और उनके अवस्था सन्निकटन, अभिक्रिया दरों का संक्रमण अवस्था सिद्धान्त, प्रथम कोटि की क्रमागत उत्क्रमणीय तथा पार्श्व अभिक्रियाएँ। प्रावस्था

Continued...



<p>सामाजिक गतिशीलता प्रकार, व्यवसायिक गतिशीलता-अन्तः पीढ़ीगत तथा अन्तरपीढ़ीगत।</p> <p style="text-align: center;"><b>(खण्ड-ब)</b></p> <p><b>5. विवाह, परिवार तथा नातेदारी</b><span> </span>: विवाह के प्रकार एवं स्वरूप, सामाजिक विधानों का प्रभाव, परिवार-संरचना एवं प्रकार्य, परिवार के बदलते प्रतिमान, परिवार सत्ता एवं नातेदारी, समकालीन समाज में विवाह एवं लिंगभेद की भूमिका।</p> <p><b>6. सामाजिक परिवर्तन एवं विकास</b><span> </span>: अवधारणा, सामाजिक परिवर्तन के कारक एवं सिद्धान्त, सामाजिक आन्दोलन एवं परिवर्तन, सामाजिक नीति एवं विकास में राज्य का हस्तक्षेप, ग्रामीण रूपांतरण की रणनीतियाँ सामुदायिक विकास कार्यक्रम, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं हेतु स्वयं रोजगार तथा जवाहर रोजगार योजना।</p> <p><b>7. आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था</b><span> </span>: संपत्ति की अवधारणा: श्रमविभाजन के सामाजिक आयाम, विनियम के प्रकार, औद्योगीकरण, नगरीकरण एवं सामाजिक विकास शक्ति की प्रकृति-वैयक्तिक, सामुदायिक अभिजोन्मुख, वर्गीगत, राजनैतिक सहभागिता के स्वरूप-जनतांत्रिक एवं निरंकुश।</p> <p><b>8. धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी</b><span> </span>: अवधारणा, परंपरागत एवं आधुनिक समाजों में धार्मिक विश्वास एवं धार्मिक भूमिकाएं, विज्ञान का आधार, विज्ञान का सामाजिक उत्तरदायित्व एवं नियंत्रण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के सामाजिक परिणाम।</p> <p><b>9. जनसंख्या एवं समाज</b><span> </span>: जनसंख्या का आकार, प्रवृत्तियाँ, रचना निष्क्रमण, वृद्धि , भारत में जनसंख्या की समस्याएं, जनसंख्या शिक्षा।</p> <p style="text-align: center;"><b>समाजशास्त्र<span> </span>: द्वितीय प्रश्न-पत्र<span> </span>: भारतीय सामाजिक व्यवस्था</b></p> <p><b>1. भारतीय समाज के आधार</b><span> </span>: परंपरागत भारतीय सामाजिक संगठन-धर्म, कर्म का सिद्धान्त, आश्रम व्यवस्था, पुरुषार्थ एवं संस्कार। सामाजिक सांस्कृतिक गत्यात्मकता-बौद्ध , इस्लाम तथा पश्चिम का प्रभाव, निरंतरता तथा परिवर्तन के उत्तरदायी कारक।</p> <p><b>2. सामाजिक स्तरीकरण</b><span> </span>: जाति व्यवस्था-उत्पत्ति सांस्कृतिक संरचनात्मक दृष्टि , जाति के बदलते प्रतिमान, जाति एवं वर्ग, समानता तथा सामाजिक न्याय संबंधी विचार, भारत में वर्ग संरचना-कृषक एवं औद्योगिक, मध्यम वर्ग का उदय, जनजातियों में वर्ग, दलित चेतना का उद्भव।</p> <p><b>3. विवाह, परिवार एवं नातेदारी</b><span> </span>: विभिन्न स्त्रीम समूहों में विवाह, इसकी बदलती प्रवृत्तियां एवं भविष्य, परिवार-संरचनात्मक एवं प्रकाश्यात्मक पहलू बदलते प्रतिमान, विवाह एवं परिवार पर सामाजिक, आर्थिक, परिवर्तनों एवं नातेदारी व्यवस्था में क्षेत्रीय अन्तर एवं उसका परिवर्तित स्वरूप।</p> <p><b>4. आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था</b><span> </span>: जजमानी व्यवस्था, भूस्वामित्व व्यवस्था, भूमिसुधार एवं उदारीकरण के सामाजिक परिणाम, आर्थिक विकास के सामाजिक निर्धारक, हरित क्रान्ति, जनतांत्रिक व्यवस्था का कार्यात्मक स्वरूप, राजनैतिक दल एवं उनकी रचना, राजनैतिक अभिजनो की संरचना, परिवर्तन एवं उन्मुखता शक्ति का विकेन्द्रीकरण एवं राजनैतिक सहभागिता, विकास में राजनैतिक प्रभाव।</p> <p><b>5. शिक्षा और समाज</b><span> </span>: परंपरावादी एवं आधुनिक समाज में शिक्षा के आयाम, शैक्षणिक असमानता एवं परिवर्तन शिक्षा एवं सामाजिक गतिशीलता, समाज के कमजोर वर्गों की शिक्षा की समस्यायें।</p> <p><b>6. जनजातीय, ग्रामीण एवं नगरीय सामाजिक संगठन</b><span> </span>: जनजातीय समुदायों की विशिष्ट विशेषताएं और उनका वितरण, जनजाति एवं जाति, परिस्संस्कृतिकरण, सरकारीकरण एवं एकीकरण की प्रक्रियाएं, जनजातियों की सामाजिक समस्याएं और अस्मिता। ग्रामीण समुदाय के सामाजिक-सांस्कृतिक आयाम, परम्परावादी शक्ति संरचना, जनतंत्रीकरण एवं नेतृत्व, सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं पंचायतीराज, ग्रामीण रूपांतरण की नवीन रणनीतियां। नगरीय समुदायों में परम्परागत संस्थाओं की निरंतरता एवं परिवर्तन (नातेदारी, जाति, व्यवसाय आदि) नगरीय समुदाय में वर्ग संरचना एवं गतिशीलता, रक्षेत्रीय विविधता एवं सामुदायिक एकीकरण, नगरीय पड़ोस, ग्रामीण नगरी-भिन्नता, जनानकीय एवं सामाजिक सांस्कृतिक प्रवर्तन।</p> <p><b>7. धर्म और समाज</b><span> </span>: विभिन्न धार्मिक समूहों का आकार, वृद्धि और क्षेत्रीय वितरण, अन्तर धार्मिक अन्तः क्रियाएं और उसकी अभिव्यक्ति। धर्म परिवर्तन, साम्प्रदायिक तनाव, धर्म निरोधवाद, अल्पसंख्यक पद तथा धार्मिक रुढ़िवादिता की समस्यायें।</p> <p><b>8. जनसंख्या की गत्यात्मकता</b><span> </span>: लिंग, आयु वैवाहिक स्थिति, प्रजननता एवं मृत्यु के सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष, जनसंख्या विस्फोट की समस्या, सामाजिक मनोवैज्ञानिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक। जनानकीय नीति एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम, जनसंख्या वृद्धि के निर्धारक तत्व एवं परिणाम।</p> <p><b>9. नारी और समाज</b><span> </span>: नारी का जनसंख्यात्मक वितरण, उनकी प्रस्थिति में परिवर्तन, विशिष्ट समस्यायें-दहेज अत्याचार, भेदभाव, नारी एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्यक्रम।</p> <p><b>10. परिवर्तन एवं विकास के आयाम</b><span> </span>: सामाजिक परिवर्तन एवं आधुनिकीकरण, सूचक अवरोध, एवं स्वकारिक प्रवृत्ति, सामाजिक परिवर्तन के स्रोत-आन्तरिक एवं बाह्य। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं-सांस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण एवं आधुनिकीकरण।परिवर्तन के प्रेरक-जनसंचार, शिक्षा एवं सम्प्रेषण, आधुनिकीकरण एवं नियोजित परिवर्तन की समस्यायें। नियोजन की वैचारिकी एवं रणनीति, पंचवर्षीय योजनाएं, नारीही उन्मूलन के कार्यक्रम, पर्यावरण, बेकारी और नगरीय विकास के कार्यक्रम, सामाजिक सुधार आन्दोलन, कृषक, पिछड़ा वर्ग, महिला तथा दलित के विशेष संदर्भ में।</p>	<p>साक्षात्कार, प्रश्नावली, परीक्षण तथा मापनियों, व्यक्तिवृत्त, विषय वस्तु विश्लेषण। <b>3. व्यवहार के जैविक आधार</b><span> </span>: केन्द्रीय, परिधीय तथा स्वायत्त तंत्रिका-तंत्र की रूप रेखा, मस्तिष्क के प्रकार्यों का स्थानीकरण, प्रमस्तिष्कीय गोलाधों की विशिष्टताएं, तंत्रिका आवेग उनका संवहन, संग्राहकों की व्यवस्था अन्तः स्वावी तन्त्र, शारीरिक वृद्धि , सांवेगिक क्रियाओं तथा व्यक्तिवृत्त रचना में इसकी भूमिका। <b>4. प्रत्यक्षपरक प्रक्रियाएं</b><span> </span>: प्रत्यक्षपरक देहली का समस्या: क्लासिकी मनोभौतिकी तथा संकेत संज्ञापन सिद्धान्त, अवधानात्मक प्रक्रियाएं: चयनात्मक अवधान तथा संचुत अवधान, आकृति, वर्ण तथा गहराई के कल्पण, प्रत्यक्षपरक स्थैय: स्थिरता-अस्थिरता विरोधाभास, प्रत्यक्षपरक संवेदनशीलता तथा प्रत्यक्षात्मक सुरक्षा: केन्द्रीय निर्धारक। <b>5. अधिगम प्रक्रियाएं</b>: अनुबन्धन क्लासिकी तथा नैमित्तिक, प्रेक्षणात्मक अधिगम वाचिक अधिगम-विधियां एवं प्रक्रियायें, साहचर्यवादी तथा संगठनात्मक प्रक्रियाएं, विलोपन विभेदन तथा सामान्यीकरण। <b>6. स्मृति</b><span> </span>: कूटसंकेतन-संरचनात्मक, ध्वन्यात्मक तथा शब्दार्थ विषय का द्वैत कूट संकेतन, संवेदी, स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति: वृतातमक, शब्दार्थ विषयक तथा प्रक्रियात्मक, विस्मरण: व्यक्तिकरण तथा उद्दीपन कूट संकेतन विविधता, रचनात्मकता स्मृति। <b>7. समस्या समाधान, तर्कना तथा चिन्तन</b><span> </span>: समस्या समाधान के प्रक्रम तथा निर्धारक आगमनात्मक, निगमनात्मक, तर्कना, परिकल्पना परीक्षण, भाषा तथा विचारण, हार्फियन विचार तथा उनकी समालोचना, चिन्तन में सूचना प्रक्रमण, कृत्रिम संप्रत्ययों का अधिसमा तथा स्वाभाविक संवर्ग। <b>8. संवेग</b><span> </span>: संवेगों के स्वरूप तथा विकास, संवेग के सिद्धान्त-द्वैहिक संज्ञात्मक तथा विरोधी प्रक्रम, संवेग के संकेतक, संवेगों की पहचान। <b>9. अभिप्रेरण</b><span> </span>: अभिप्रेरित व्यवहारों के मानदंड, आवश्यकता, अन्तर्नो, उद्देालन, प्रलोभन के संप्रत्यय, अभिप्रेरणा का मापन, बहिरस्थ बनाव अन्तस्थ अभिप्रेरण, अधिगत अभिप्रेरण। <b>10. व्यवहार की उत्पत्ति तथा विकास</b>: प्रजननात्मक आधार, पर्यावरणीय कारक बालपोषण, वंचन, सांस्कृतिक कारक, संवेदी वचन, पेशीय तथा कौशल विकास, भाषा विकास। <b>11. मनोवैज्ञानिक प्रकार्यों में वैयक्तिक विभिन्नार्थ</b>, सामान्य मानसिक योग्यता: स्वरूप तथा सैद्धान्तिक उपागम-स्थिरमैत, धर्षटन, गिलफर्ड, जेन्सन तथा पिपाजे, सृजनशीलता तथा रचनात्मकता चिन्तन, बुद्धि की अनुवैशिकता।</p> <p style="text-align: center;"><b>मनोविज्ञान<span> </span>: प्रश्न पत्र II<span> </span>: अनुप्रयुक्त परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान</b></p> <p><b>1. अनुप्रयुक्त विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान</b><span> </span>: अनुप्रयुक्त बनाव मूलभूत विज्ञान, मनोविज्ञान के क्षेत्र-सामाजिक, सामुदायिक, औद्योगिक, विद्यालयी, स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय। <b>2. वैयक्तिक भिन्नार्थ एवं मापन</b><span> </span>: व्यक्तिगत भिन्नताओं का स्वरूप स्रोत, मनोवैज्ञानिक मापनीकरण परीक्षण निर्माण एवं मानकीकरण, विश्वसनीयता एवं वैधता, मानक क्रॉस वैधीकरण, परीक्षण में सांस्कृतिक कारक। <b>3. व्यक्तिवृत्त मूल्यांकन</b><span> </span>: व्यक्तिवृत्त मूल्यांकन के विवाद, आत्म अभिलेख माप, प्रक्षेप तकनीक, अनुक्रिया शैली तथा अनुक्रिया अभिनतियां, टी, ए टी, रोशार्क तथा एम. सी.आई, जैसे महत्वपूर्ण मापकों के विविध पक्षों का निरूपण। <b>4. मनोवैज्ञानिक विकृतियां एवं मानसिक स्वास्थ्य</b><span> </span>: मानसिक विकृतियों का वर्गीकरण (डी.एस.एम. चतुर्थ) मनोस्नायुविक, मनोविपलन एवं मनोद्वैहिक विकृतियों के लक्षण एवं उनकी उत्पत्ति, प्रतिबल, कोपिंग एवं मानसिक स्वास्थ्य। <b>5. अभिवृत्ति तथा सामाजिक संज्ञान</b><span> </span>: अभिवृत्तियों का स्वरूप तथा उनके सिद्धान्त, अन्तर्व्यक्ति आकर्षण एवं सहायतापरक व्यवहार, सामाजिक संज्ञान का स्वरूप, प्रत्यक्षीकरण में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, पूर्वाग्रह रुढ़ियुक्तियां तथा सामाजिक समाधान। <b>6. सामाजिक प्रभाव</b><span> </span>: प्रभाव, नियंत्रण तथा शक्ति, प्रभाव के आधार, सामाजिक सुकरीकरण समूहों के नेतृत्व निष्पादन में समूह सम्बन्धी कारक। <b>7. उद्योगों एवं संगठनों में मनोविज्ञान</b><span> </span>: कर्मचारी चयन, संकृष्ट सम्बन्धी अभिवृत्तियां एवं व्यवहार, संगठनों में अभिप्रेरणात्मक संरूप, संगठनात्मक प्रतिमान, संगठनात्मक संप्रेषण, संगठनात्मक प्रभावोत्पादकता। <b>8. शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान</b><span> </span>: विद्यालय एक सामाजिक व्यवस्था के रूप में, विद्यालय सामाजिकीकरण के अभिकर्ता के रूप में, विद्यालयी बच्चों की अधिगम, अभिप्रेरणा तथा सांवेगिक समस्याएं, शैक्षणिक उपलब्धि को प्रभावित करने वाले कारक, शैक्षणिक निष्पादन में सुधार हेतु हस्तक्षेप। <b>9. नैदानिक परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान</b><span> </span>: मनोचिकित्सा: स्वरूप एवं लक्ष्य, मनोविश्लेषणात्मक सेवाार्थी केन्द्रीय समूह तथा व्यवहार मनोचिकित्साएं, सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य, मनोचिकित्सा के नैतिक विवाद। <b>10. पर्यावरणीय मनोविज्ञान</b><span> </span>: व्यवहार में पर्यावरण की भूमिका, पर्यावरण पर मानवीय प्रभाव, व्यक्तिगत स्थान, ध्वनि प्रदूषण तथा भीड़-भाड़ का प्रभाव।</p>
<p style="text-align: center;"><b>खण्ड-ब</b></p> <p><b>9. दर्शनशास्त्र<span> </span>: प्रथम प्रश्न-पत्र:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>दर्शनशास्त्र का इतिहास एवं समस्यायें (खण्ड-अ)</b></p> <p><b>1.प्लेटों</b><span> </span>: प्रत्यय-सिद्धान्त, <b>2.अरस्तू</b><span> </span>: आकार, द्रव्य, कारणता, <b>3. डेकार्ट</b><span> </span>: पद्धति, आत्मा, ईश्वर , मन-शरीर द्वैतवाद, <b>4. रिपनोजा</b><span> </span>: द्रव्य, गुण और पर्याय सर्वेश्वरवाद, <b>5. लाइबनिट्स</b><span> </span>: चिपणु, ईश्वर, <b>6. लॉक</b><span> </span>: ज्ञान सिद्धान्त, जन्मजात प्रत्ययों का खण्डन, द्रव्य एवं गुण, <b>7. बर्कले</b><span> </span>: जड़द्रव्य का खण्डन, प्रत्ययवाद, <b>8. ह्यूम</b><span> </span>: ज्ञान-सिद्धान्त, संशयवाद, आत्मा, कारणता, <b>9. कांट</b><span> </span>: प्रागनुभाविक एवं अनुभव जन्म ज्ञान विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषणात्मक निर्णय, संश्लेषणात्मक प्रागनुभाविक निर्णय की सम्भावना, देश काल एवं कोटियां, बुद्धि (रीजन) के प्रत्यय ईश्वर अस्तित्व-साधक युक्तियों की आलोचना, <b>10. हेगेल</b><span> </span>: द्वन्द्वात्मक पद्धति, निरपेक्ष प्रत्ययवाद, <b>11. अ. स्त्र</b><span> </span>: सामान्यतः का सम्बंधन, प्रत्ययवाद का खण्डन, बरसेल-वर्णन सिद्धान्त, अपूर्ण प्रतीक, <b>12. तार्किक परमाणुवाद</b><span> </span>: आणविक तथ्य, सरल तर्कवाच्य, अर्थ का चित्र (विट्गेन्स्टाइन) सिद्धान्त, कथन एवं निदर्शन, <b>13. तार्किक भाववाद</b><span> </span>: सत्यापन सिद्धान्त, तत्वमीमांसा का निरसन, अनिवार्य तर्कवाच्यों का भाषायी सिद्धान्त, <b>14. सवृत्तिशास्त्र</b><span> </span>: हर्सल, <b>15. अस्तित्ववाद</b><span> </span>: किर्कगार्ड, सार्व, <b>16. क्वाइन</b><span> </span>: आमूल अनुवाद, <b>17. स्ट्रान्सन</b><span> </span>: व्यक्ति-सिद्धान्त।</p>	<p><b>1. सुक्ष्मजीवी विज्ञान</b><span> </span>: सुक्ष्मजीव विविधता, वायु जल तथा मृदा सुक्ष्म विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान, सुक्ष्मजीव संक्रमण तथा रोधा क्षमता विज्ञान का सामान्य वितरण, कृषि, उद्योग, औषधि तथा पर्यावरण के विशेष संदर्भ में सुक्ष्मजीव विज्ञान के अनुप्रयोग। <b>2. पादप रोग विज्ञान</b><span> </span>: विहाणु, जीवाणु, कवक प्रद्व्य, कवक तथा गोलकृमि द्वारा उत्पन्न महत्वपूर्ण पादप रोग: क्रासिफर का रुट नाट, तम्बाकू का मोजेक, पपीते की पत्तियों का कर्ल, सिट्रल कैंकर, धान का पर्ण अंगमारी, गेहूँ का कीट, जौ का कण्ड, आलू का पिछैती अंगमारी, गन्ने का लाल रिंगलन, अरहर की म्लानि के विशेष संदर्भ में, संक्रमण की विधियां, निरोध के उपाय और नियंत्रण, जैविक नियंत्रण, परजीविता की कार्यिकी। <b>3. पादप विविधता</b><span> </span>: विहाणु जीवाणु, शैवाल कवक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा अनावृतबीजी जीवाश्म सहित का वर्गीकरण, संरचना, प्रजनन, जीवन चक्र तथा आर्थिक महत्त्व। जड़ तथा पत्ती बीज की आकारिकी, द्वितीयक वृद्धि। भ्रूण विज्ञान-लघु बीजाणुधानी, लघुबीजाणुजनन, नरयुग्मकोदिभिद, गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु जनन तथा मादा-युग्मकोदिभिद निषेचन, भ्रूण विकास का विकास। वर्गीकरण के सिद्धान्त, आवृतबीजी के वर्गीकरण की आधुनिक पद्धतियाँ, वनस्पतिक नामकरण के नियम, जीव, वर्गीकरण विज्ञान, रैसनकुलेसी, मैग्नोलियेसी, ब्रैसिकेसी, मालवेसी, फेबेसी, रोजेसी, एपियेसी, कुकरबिटेसी, सोलेनेसी, एस्त्वोपियेडेसी, बर्बिनेसी, लैमिनेसी, एस्टरसी, एपोसाइनेसी, यूफोबोयेसी, अमरेन्थेसी, लिलियेसी, म्यूजेसी, एरीकेसी, पोएगी, तथा ऑर्किडेसी, कुलों के भेदकारी लक्षण। <b>4. आकृति जनन</b><span> </span>: सहसम्बन्ध, ध्रुविता, सममितित, पूर्णशक्तिता, उस्तको एम्बो अंगो का विभेदन तथा पुनरुत्पादन, आकृतिजनक कारक, कोशिका,उत्तक, अंग तथा जीवविकास संबंधन की विधियां और अनुप्रयोग। सोमाक्लोनल विभिन्नता, कायिक संकर तथा कोशिका द्रव्य संकर।</p>
<p style="text-align: center;"><b>खण्ड-ब</b></p> <p><b>1. चार्वाक</b><span> </span>: ज्ञान सिद्धान्त, भौतिकवाद, <b>2. जैनदर्शन</b><span> </span>: सत् का सिद्धान्त, स्याद्वाद तथा स्वतर्भंगीय, बन्धन एवं मोक्ष, <b>3. बौद्धदर्शन</b><span> </span>: प्रतीत्यसमुत्पाद, क्षणिकवाद, नैरात्यवाद, बौद्धदर्शन के सम्प्रदाय, <b>4. सांख्य</b><span> </span>: प्रकृति, पुरुष, कारणता-सिद्धान्त, मोक्ष, <b>5. न्यायवैशेषिक</b><span> </span>: प्रमाण, आत्मा, मोक्ष, ईश्वर तथा ईश्वर के अस्तित्व के लिये युक्तियां , पदार्थ, कारणता, सिद्धान्त, परमाणुवाद, <b>6. मीमांसा</b><span> </span>: ज्ञान-सिद्धान्त प्रमा, प्रमाण, स्वतः प्रमाण्यवाद, <b>7. वेदान्त शंकर</b>, रामानुज एवं मध्वः (ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, जीव, जगत, माया, अविद्या, अध्यास, मोक्ष)</p>	<p style="text-align: center;"><b>खण्ड-अ</b></p> <p><b>राजनैतिक आदर्श</b><span> </span>: समानता, न्याय, स्वतंत्रता, <b>2. संप्रभुता</b>: <b>3. व्यक्ति तथा राज्य</b> <b>4. लोकतंत्र</b><span> </span>: अवधारणा तथा प्रकार <b>5. समाजवाद तथा मार्क्सवाद</b> <b>6. मानववाद</b>, <b>7. धर्मनिरपेक्षतावाद</b>, <b>8. दण्ड</b> के सिद्धान्त, <b>9. हिंसा</b>, अहिंसा। सर्वोदय, <b>10. लिंग-समानता</b>, <b>11. वैज्ञानिक दृष्टि</b> एवं प्रगति <b>12. पारिस्थितिकी-दर्शन।</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>खण्ड-ब</b></p> <p><b>1. धर्म</b>, धर्मशास्त्र तथा धर्म दर्शन, <b>2. धर्म</b> तथा नैतिकता, <b>3. ईश्वर</b> विषयक अवधारणायें: वैयक्तिक, अवैयक्तिक, प्रकृतिवादी, <b>4. ईश्वर</b> के अस्तित्व के लिए प्रमाण, <b>5. आत्मा</b> की अमरता, <b>6. मोक्ष</b>, <b>7. धार्मिक ज्ञान</b>: बुद्धि, देवी प्रकाशना तथा रहस्यवाद, ईश्वर विहीन धर्म, <b>8. अशुभ</b> की समस्या, <b>9. धार्मिक सहिष्णुता।</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>खण्ड-अ</b></p> <p><b>13. सिविल अधिकार संरक्षक अधिनियम, 1955</b> <b>3. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961</b> <b>4. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 (ख) अपकृत्य विधि</b><span> </span>: 1.अपकृत्य-दायित्व की प्रकृति, <b>2. दोष</b> पर आधारित दायित्व एवं कठोर दायित्व, <b>3. सांविधिक दायित्व</b>, <b>4. प्रत्यायुक्त दायित्व</b>, <b>5. संयुक्त अपकृत्य कर्त</b>, <b>6. उपेक्षा</b>, <b>7. कक्षाधारी का दायित्व</b> एवं संरचनाओं के सम्बन्ध में उसका दायित्व, <b>8. निरोध और संपरिवर्तन</b>, <b>9. मानहानि</b>, <b>10. अपद्रव्य</b>, <b>11. मिथ्या करावास</b> तथा विदेशपूर्ण अभियोजन।</p>
<p style="text-align: center;"><b>10. भू-विज्ञान<span> </span>: प्रथम प्रश्न-पत्र</b></p> <p style="text-align: center;"><b>सामान्य भू-विज्ञान, भू आकृति, संरचना भू-विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान और स्तरिकी</b></p> <p><b>1. सामान्य भू-विज्ञान</b><span> </span>: भूगति विज्ञान से संबंध ऊर्जा की गतिविधि। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं अन्तरस्था। विभिन्न विधियों द्वारा शैलों का तिथि निर्धारण तथा पृथ्वी की आयु। विघटनभित्ता एवं भू-वैज्ञानिक समस्याओं में इसका उपयोग। ज्वालामुखी के कारण और उत्पाद, ज्वालामुखी मेखलाएं। भूंकष के कारण, प्रभाव, वितरण तथा इसका ज्वालामुखी मेखलाओं से सम्बन्ध। भू-अभिन्नति एवं उनका वर्गीकरण। द्वीप-चाप गम्भीर सागर खाइयां तथा मध्य सागरीय कटक, समुद्रतल विस्तरण तथा प्लेट विवर्तनीकी, समस्थिति। पर्वतों के प्रकार एवं उद्गम महाद्वीपों तथा सागरों की उत्पत्ति। महाद्वीपीय विस्थापन की संक्षिप्त रूपरेखा। <b>2. भू-आकृति विभाग</b><span> </span>: आधारभूत संकल्पना तथा महत्व। भू-आकृतिक प्रक्रियायें तथा पैरामीटर। भू-आकृतिक चक्र तथा उनके प्रतिपादन। उच्चावच लक्षण। संरचनाओं तथा अश्मिकी का भूस्थलाकृति से संबंध। विशाल भू-आकृतियां। अप्रवाह तंत्र। भारतीय उप महाद्वीप के भू-आकृतिक लक्षण।<b>3. संरचना भू-विज्ञान</b><span> </span>: प्रतिबल तथा विकृत दीर्घवृत्तज एवं शैल विरूपण। वलन तथा भ्रंशण की यांत्रिकी। रैखिक तथा समतलीय संरचनाएं तथा उनकी उत्पत्ति मूलक महत्व। शैल समविन्यास विश्लेषण और इसका आलेखीय प्रतिवेदन तथा भू-वैज्ञानिक समस्याओं में उपयोग। भारत का विवर्तनीकी ढांचा। <b>4. जीवाश्म विज्ञान</b><span> </span>: सूक्ष्म (माइक्रो) स्थूल (मैक्रो) जीवाश्म। जीवाश्मों का परिरेक्षण तथा उत्पादेता वर्गीकरण तथा नाम पद्धति से सामान्य परिचय। जैविक विकास तथा इस पर पुराजीवाश्म वैज्ञानिक अध्ययन का प्रभाव। ब्रैकियोपॉड, डिक्रिपटी गैस्ट्रिपॉड, एमानाइट, ट्राइलोबाइट, एकिनाइड तथा प्रवालों की आकृतिकी, वर्गीकरण तथा विकासीय प्रवृत्ति सहित भूवैज्ञानिक इतिहास। कशेरुक के प्रधान समूह तथा उनके मुख्य आकृतिक गुण। कालों में कशेरुक जीवन। डाइनोसौर। अध, गज तथा मानव के विकास का विस्तृत अध्ययन।गोंडवाना वनस्पति एवं इसका महत्व। सूक्ष्म जीवाश्मों के प्रकार तथा उनका तेल-अन्वेषण में विशेष संदर्भ सहित महत्व।<b>5. स्तरिकी</b><span> </span>: स्तरिकी के सिद्धान्त। स्तरीय वर्गीकरण तथा नाम पद्धति स्तरिकीय मानक मापक्रम। भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रणालियों को विस्तृत अध्ययन। स्तरविज्ञान में सीमा समस्याएं-कैम्ब्रियन पूर्व-कैम्ब्रियन, परमियम-ट्राईऐसिक, क्रिटेशन-टरशियरी तथा न्यूजीन-क्वाटरनरी। भारत के समतलीय संरचनाओं से सहसंबंध विभिन्न भूवैज्ञानिक प्रणालियों के स्तरिकी की रूपरेखा। भारतीय महाद्वीप में पूरा भूवैज्ञानिक (कालकी) जलवायु तथा आग्नेय सक्रियता। पुरा भौगोलिक पुनः निर्माण।</p>	<p style="text-align: center;"><b>13. विधि<span> </span>: प्रथम प्रश्न-पत्र</b></p> <p><b>1. भारत की सांविधानिक विधि</b><span> </span>: <b>1.</b> भारतीय संविधान की प्रकृति एवं इसके प्रमुख लक्षण। <b>2.</b> मूल अधिकार विशेषतः समता का अधिकार, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वाधीनता का अधिकार तथा धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार। <b>3.</b> राज्य के नीतिनिर्देशक तत्व तथा मूल कर्तव्य। <b>4.</b> राष्ट्रपति की सांविधानिक स्थिति तथा मंत्रिपरिषद से उनका सम्बन्ध। <b>5.</b> राज्यपाल की सांविधानिक स्थिति तथा उसकी शक्तियां। <b>6.</b> उच्च एवं उच्चतम न्यायालय, उन्की शक्तियां तथा अधिकारिता। <b>7.</b> नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त। <b>8.</b> संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण, संघ एवं राज्यों के प्रशासनिक एवं वित्तीय सम्बन्ध। <b>9.</b> प्रत्यायोजित विधान, संसदीय सांविधानिकता, तथा इस पर न्यायिक एवं विधायी नियन्त्रण। <b>10.</b> भारत में व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता। <b>11.</b> अपात उपबन्ध। <b>12.</b> सिविल सेवकों की सांविधानिक सुरक्षायें। <b>13.</b> संसदीय विशेषाधिकार एवं अनुभक्तियां। <b>14.</b> संविधान का संशोधन।</p>
<p style="text-align: center;"><b>क्रिस्टल विज्ञान, खनिज विज्ञान, शैल विज्ञान तथा आर्थिक भूविज्ञान</b></p> <p><b>1. क्रिस्टल विज्ञान</b>, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय पदार्थ दिक्स्थान समूह। जालक सममिति। क्रिस्टलों का 32 सममिति वर्गों में वर्गीकरण। क्रिस्टल संकेतन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्रिस्टल सममिति के निरूपण में त्रिविम प्रक्षेप का उपयोग। यमलन तथा यमल नियम। क्रिस्टल अनियमिततायें। क्रिस्टल अध्ययन में एक्सरे का उपयोग।<b>2. प्रकाशकीय खनिज विज्ञान</b><span> </span>: प्रकाश के सामान्य सिद्धान्त। समदैशिकता तथा असमदैशिकता। प्रकाशिक धोनिका की संकल्पना। बहुवर्णता, द्विअपवर्जन, व्यक्तिकरण वर्ण तथा विलोपन। क्रिस्टलों में प्रकाशिक अनुस्थापन विक्षेपण, प्रकाशिक सहायक उपकरण। <b>3. खनिज विज्ञान</b><span> </span>: क्रिस्टल रसायन के तत्व-बंधक के प्रकार, आयनिक त्रिज्या, समन्वय संख्या, समरूपिता, बहुरूपिता तथा कूटरूपिता। सिलिकेटों का संरचनात्मक वर्गीकरण शैल-निर्माणकारी खनिजों का विस्तृत अध्ययन, उनके भौतिक, रासायनिक तथा प्रकाशिक गुण तथा उनके प्रयोग (यदि कोई हो) इन खनिजों के परिवर्तन उत्पाद का अध्ययन।<b>4. शैल विज्ञान</b><span> </span>: मैग्मा इसका प्रजनन, प्रकृति तथा संघटन। द्विअंगी, त्रिअंगी, प्रणाली का सामान्य प्राक्स्था आरंभ तथा उनका महत्व।बॉवन अभिक्रिया सिद्धान्त।मैनीय विभेदन तथा स्वांगीकरण।गठन तथा संरचना एवं उनका शैलजनक महत्त्व। आग्नेय शैलों का वर्गीकरण भारत के प्रमुख आग्नेय शैलों की शैलवर्णना तथा शैलजनन-प्रेनाइट, क्षारीय शैल, चार्नोकाइट, एप्पॉथासाइट तथा डेकन बेसाल्ट। अवसादी शैलों के निर्माण की प्रक्रियायें प्रसंघनन तथा शिलीभवन। गठन तथा संरचना एवं उनके महत्त्व। अवसादी शैलों का वर्गीकरण, खंडज तथा विखंडज। भारी खनिज तथा उनका महत्त्व। निक्षेपण-पर्यावरण की मौलिक परिकल्पना, अवसादी संलक्षणी तथा उद्गम क्षेत्र। सामान्य शैल-प्रकारों की शैलवर्णना। कार्यांतरिक प्रक्रियायें तथा कार्यांतरिक के प्रकार। कार्यांतरिक कोटि (ग्रेड), जोन तथा संलक्षणी AFM तथा ACF, AKF आरंख। कार्यांतरिक शैलों के गठन, संरचना तथा नाम पद्धति। महत्वपूर्ण शैलों की शैलवर्णना तथा शैलजनन। <b>5. आर्थिक भू विज्ञान</b><span> </span>: अयस्क, अयस्क खनिज तथा गैस, अयस्क औसत प्रतिशत। खनिज निक्षेपों के निर्माण की प्रक्रिया। अयस्क निक्षेपों के सामान्य रूप एवं संरचना अयस्क निक्षेपों का वर्गीकरण। अयस्क निक्षेपण का नियंत्रण। धातुजननिक युग। भारत के महत्वपूर्ण धातुमय तथा अधात्विक निक्षेप, तैत तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र तथा कोयला क्षेत्र का अध्ययन। भारत की खनिज संपदा। खनिज-अर्थशास्त्र। राष्ट्रीय नीति। खनिजों की संरक्षणता तथा उपयोगिता। <b>6. अनुप्रयुक्त भूविज्ञान</b><span> </span>: पूर्वाक्षण तथा अन्वेषण तकनीक की मूलभूति। खनन , प्रतिचयन, अयस्क तथा खनिज सजीकरण की मुख्य विधियां।अभिभ्यन्त्रण बांध, सुरंग सेतु, तथा सड़क कार्यों में भूवैज्ञानिक कर्साटियां। मृदा तथा भौमजल, भूविज्ञान और भूरसायन के मूलतत्व। बायव-फोटो तथा उपग्रह प्रतिमाओं (सेटेलाइट इमेजरी) का भूवैज्ञानिक अन्वेषण में उपयोग।</p>	<p style="text-align: center;"><b>13. विधि<span> </span>: द्वितीय-प्रश्न-पत्र</b></p> <p><b>1. (क) अपराध विधि</b><span> </span>: <b>(अ)</b> अपराध की संकल्पना, आवश्यक तत्व, अपराध की तैयारी एवं प्रयत्न <b>(ब)</b> भारतीय दण्ड संहिता। <b>1.</b> साधारण अपवाद, <b>2.</b> संयुक्त एवं आन्वधिक दायित्व, <b>3.</b> दुष्प्रेरण, <b>4.</b> आपराधिक षडयंत्र, <b>5.</b> राज्य के विरुद्ध अपराध, <b>6.</b> लोक शांति के विरुद्ध अपराध, <b>7.</b> मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, <b>8.</b> संपत्ति के विरुद्ध अपराध, <b>9.</b> विवाह से सम्बन्धित अपराध, <b>10.</b> मानहानि।</p> <p><b>2. सिविल अधिकार संरक्षक अधिनियम, 1955</b> <b>3. दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961</b> <b>4. खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 (ख) अपकृत्य विधि</b><span> </span>: 1.अपकृत्य-दायित्व की प्रकृति, <b>2. दोष</b> पर आधारित दायित्व एवं कठोर दायित्व, <b>3. सांविधिक दायित्व</b>, <b>4. प्रत्यायुक्त दायित्व</b>, <b>5. संयुक्त अपकृत्य कर्त</b>, <b>6. उपेक्षा</b>, <b>7. कक्षाधारी का दायित्व</b> एवं संरचनाओं के सम्बन्ध में उसका दायित्व, <b>8. निरोध और संपरिवर्तन</b>, <b>9. मानहानि</b>, <b>10. अपद्रव्य</b>, <b>11. मिथ्या करावास</b> तथा विदेशपूर्ण अभियोजन।</p>
<p style="text-align: center;"><b>11. मनोविज्ञान<span> </span>: प्रथम प्रश्न-पत्र<span> </span>: मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं</b></p> <p><b>1. मनोविज्ञान</b><span> </span>: परिचय, विषय वस्तु सैद्धान्तिक उपागम, उद्दीपन-अनुक्रिया, संज्ञानात्मक, सूचना प्रक्रमण तथा मानवावादी, विज्ञान में मनोविज्ञान का स्थान। <b>2. विधियां</b><span> </span>: ज्ञान के स्रोत, इन्द्रियानुभविक विधियां-प्रयोगात्मक, प्रकृतिवादी निरीक्षण तथा नैदानिक, प्रदत्त संकलन की विधियां-प्रेक्षण,</p>	<p><b>2. संविदा विधि एवं वाणिज्यिक विधि</b><span> </span>: <b>1.</b> संविदा निर्माण, <b>2.</b> सम्पत्ति दूषित करने वाले कारण, <b>3.</b> शून्य, शून्यकरणपीय, अवैध और अप्रवर्तनीय संविदायें, <b>4.</b> संविदाओं का अनुपालन, <b>5.</b> संविदात्मक बाध्यताओं की समाप्ति, संविदा का विकलीकरण, <b>6.</b> संविदा कल्प, <b>7.</b> संविदा भंग के विरुद्ध उपचार, <b>8.</b> माल विक्रय अधिनियम, 1930 भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 <b>10.</b> परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881</p>
<p style="text-align: center;"><b>11. मनोविज्ञान<span> </span>: प्रथम प्रश्न-पत्र<span> </span>: मूलभूत मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं</b></p> <p><b>1. मनोविज्ञान</b><span> </span>: परिचय, विषय वस्तु सैद्धान्तिक उपागम, उद्दीपन-अनुक्रिया, संज्ञानात्मक, सूचना प्रक्रमण तथा मानवावादी, विज्ञान में मनोविज्ञान का स्थान। <b>2. विधियां</b><span> </span>: ज्ञान के स्रोत, इन्द्रियानुभविक विधियां-प्रयोगात्मक, प्रकृतिवादी निरीक्षण तथा नैदानिक, प्रदत्त संकलन की विधियां-प्रेक्षण,</p>	<p style="text-align: center;"><b>14. पशुपालन एवं पशुचिकित्सा विज्ञान<span> </span>: प्रथम प्रश्न-पत्र<span> </span>: (भाग-अ)</b></p> <p><b>(अ) पशु पोषण</b><span> </span>: <b>1. ऊर्जा पोषण</b><span> </span>: ऊर्जा श्रोत, ऊर्जा चयापचय, जीवन निर्वाह, दुग्ध-उत्पादन मांस, अण्डा तथा कार्य के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, खाद्यों की ऊर्जा मूल्यांकन। <b>2. प्रोटीन पोषण</b><span> </span>: प्रोटीन के स्रोत, प्रोटीन का पाचन तथा चयापचय, प्रोटीन मूल्यांकन, जीवन निर्वाह एवं उत्पादन के लिये प्रोटीन की आवश्यकता। आहार में ऊर्जा तथा प्रोटीन का अनुपात। <b>3. खनिज पोषण</b><span> </span>: पशुओं के लिये खनिज का स्रोत, कार्य, कमी के लक्षण, आवश्यकता तथा खनिज लक्षणों से इनका सम्बन्ध। <b>4. विटामिन्स</b><span> </span>: हारमोन्स एवं खाद्य योग्य स्रोत, कार्य, कमी के लक्षण, आवश्यकता तथा खनिज लक्षणों से इनका सम्बन्ध। <b>5. अनुप्रयुक्त पोषण</b><span> </span>: खाद्य अध्ययनों के मूल्यांकन को व्यक्त करने की प्रणालियां, पाचकता तथा संतुलन अध्ययन, खाद्य मानव तथा खाद्य ऊर्जा का मापन, शारीरिक वृद्धि , जीवन निर्वाह एवं उत्पादन के लिये पोष्यों की आवश्यकता, संतुलित आहार। <b>6. जुगाली करने वाले पशुओं का पोषण</b>: दुग्ध उत्पादन तथा उनके संगठन के संदर्भ में पोष्य तथा उनका चयापचय, सूखी एवं दूधारा गायों, भैंसों, बछ्छा तथा ओस्र को पोष्यों की आवश्यकता तथा उनका परिकलन। <b>7. जुगाली न करने वाले पशुओं का पोषण</b><span> </span>: मांस एवं अण्डा उत्पादन के संदर्भ में पोष्य तथा उनका चयापचय, अण्डा देने वाली मुर्गियों का ब्रायलर तथा सुकरो को पोष्यों की आवश्यकता तथा उनका परिकलन।</p>
<p><b>(ब) पशु शरीर क्रिया विज्ञान</b><span> </span>: <b>1 वृद्धि</b> तथा <b>पशु उत्पादन</b><span> </span>: जन्म के पूर्व तथा जन्म के बाद वृद्धि , परिपक्वता, वृद्धि की रेखा, वृद्धि का विनियम, वृद्धि की दक्षता, शरीर के संगठन तथा मांस के गुण पर प्रभाव डालने वाले कारक। <b>2. दुग्ध उत्पादन</b><span> </span>: अयन के विकास में हारमोनी का नियंत्रण</p>	<p style="text-align: center;"><b>Continued....</b></p>

Size : 25 cm x







